झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

(1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक)

रा0खा0सु0अधि0–2013 की
धारा 16 (6–च) के अन्तर्गत



सम्पादक मंडल

मार्गदर्शन

श्री हिमांशु शेखर चौधरी (अध्यक्ष)

संकलनकर्त्ता

डॉ० रंजना कुमारी (सदस्य)

परामर्श

श्री हलधर महतो (सदस्य)

श्रीमती शबनम परवीन (सदस्य)

श्री संजय कुमार (सदस्य सचिव)

सहयोग

श्री कुमार रविश (सहायक प्रशाखा पदा०)

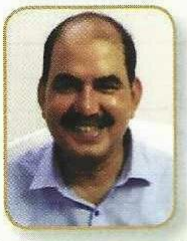
श्री विनोद कुमार वर्मा (सहायक प्रशाखा पदा०)



विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
I	दो शब्द (महामहिम राज्यपाल)	3
II	दो शब्द (माननीय मुख्य मंत्री)	4
III	दो शब्द, माननीय मंत्री खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	5
IV	दो शब्द, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	6
	प्रस्तावना–माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की कलम से	7–8
1	**अध्याय–1 एक संक्षिप्त परिचय**	**9–22**
	1.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013	
	1.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित हकदारियाँ।	
	1.3 राज्य खाद्य आयोग–भूमिका	
	1.4 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियां	
	1.5 झारखण्ड की वस्तुस्थिति–कुछ महत्वपूर्ण आँकड़े	
	1.6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 अन्तर्गत शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया एवं आयोग की भूमिका	
2	**अध्याय–2 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण**	**23–40**
	2.1 बैठकें	
	2.2 क्षेत्र भ्रमण	
	2.3 प्रचार–प्रसार (I) कार्यशाला (II) प्रकाशन/विज्ञापन	
3	**अध्याय–3 खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निपटारा**	**41–58**
4	**अध्याय–4 शोध अध्ययन।**	**59–65**
5	**अध्याय–5 नीति निर्धारण/सुझाव**	**66–72**
	5.1 महत्वपूर्ण पत्राचार एवं सुझाव।	
6	**अध्याय–6 महत्वपूर्ण उपलब्धियां।**	**73–80**
7	**मीडिया की नजर में**	**81**

आयोग में कार्यरत मानव संसाधन



श्री हिमांशु शेखर चौधरी
(अध्यक्ष)



श्री उपेन्द्र नारायण उराँव
(सदस्य)



श्री हलधर महतो
(सदस्य)



डॉ0 रंजना कुमारी
(सदस्य)



श्रीमती शबनम परवीन
(सदस्य)



श्री संजय कुमार
(सदस्य सचिव)



श्री सिकन्दर राय
(प्रशाखा पदाधिकारी)



श्री कुमार रविश
(सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)



श्री विनोद कुमार वर्मा
(सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

आयोग कार्यालय में प्रोग्रामर/आशुलिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटरों की टीम



श्री संदीप कुमार



श्री जियाउल रहमान



सुश्री प्रेमलता



श्रीमती अंजू कुमारी



श्रीमती रचना देवी



सुश्री जया कुमारी



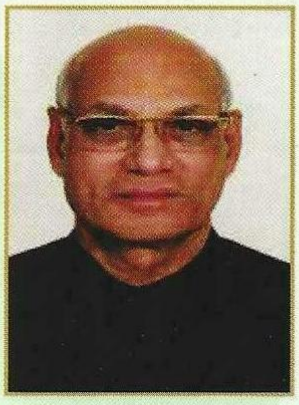
श्री सुनील कु0 दास

संदेश

सत्यमेव जयते

श्री रमेश बैस
महामहिम राज्यपाल,
झारखण्ड

राज भवन
रांची – 834001, झारखण्ड



यह हर्ष का विषय है कि राज्य खाद्य आयोग द्वारा वर्ष 2020-22 का विशेष प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है।

केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में राज्य खाद्य आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी जरुरतमंदों तक खाद्यान्न समय पर पहुँचे, इस दिशा में आयोग को प्रतिबद्धता से कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य खाद्य आयोग अपनी सक्रियता से जनता की शिकायतों का ससमय निष्पादन करें। यह जन-सुलभता की दिशा में विशेष प्रयास करें तथा अपने कार्यों में पारदर्शिता रखते हुए आम जनों के हितों के रक्षक के रुप में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। आयोग का यह परम दायित्व है कि वह केंन्द्र एवं राज्य सरकार की खाद्यान्न संबंधित विभिन्न योजनाओं से आमजन को अवगत करायें।

राज्य खाद्य आयोग द्वारा विशेष वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करना एक सराहनीय प्रयास है। आशा है कि यह प्रतिवेदन जनहित में सार्थक सिद्ध होगी।

श्री रमेश बैस

संदेश

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड



श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राज्य खाद्य आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पूरी सक्रियता के साथ कर रहा है। राज्य भर के जरुरतमंदो तक खाद्यान पहुँचाने की राज्य सरकार की हर योजनाओं की निगरानी और इस दिशा में जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन की दिशा में खाद्य आयोग की सक्रिय भूमिका सराहनीय है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन में खाद्य आयोग की महती भूमिका है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों में साल भर के काम काज का लेखा-जोखा पूरी पारदर्शिता के साथ पेश करने का प्रयास प्रशंसनीय कदम है। मैं राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, सभी सदस्यों और कार्यरत सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

हेमन्त सोरेन

संदेश

डॉ0 रामेश्वर उराँव
माननीय मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण
एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची



यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा दूसरा विशेष वार्षिक प्रतिवेदन 2020-22 का प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा किये जा रहे कार्य कलाप के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के लाभुकों के हकदारियों से संबंधित जानकारी का विस्तृत समावेश होगा। यह प्रतिवेदन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाऐं।

रामेश्वर उराँव

डॉ0 रामेश्वर उराँव

संदेश

श्री जगरनाथ महतो
माननीय मंत्री,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची



भोजन जन-जन की मूल आवश्यकता है। इस कड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे गुजर कर रहे सभी नागरिकों को सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली द्वारा कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना एवं मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष अथवा कक्षा-8 तक के छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है।

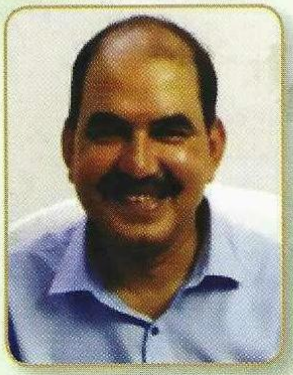
इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का अतुलनीय योगदान है, जिससे राज्य में पोषण स्तर को बढ़ाने में काफी हद तक सफलता पाई है। इस योजना के दायरे में और अधिक से अधिक लोगों को लाये जाने से राज्य में पोषण स्तर को बढ़ाने में सफलता पाई जा सकेगी।

मैं झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा सभी जरुरतमंदों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे प्रयास के लिए साधुवाद देता हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आयोग अपने उद्देश्य में सफल होगा।

10/11/22

जगरनाथ महतो
मंत्री

अध्यक्ष की कलम से



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 देश भर के जरूरतमंदों को खाद्यान्न का अधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार और झारखण्ड सरकार की उन सभी योजनाएँ जिसमें अनाज,खाद्यान्न सामग्री या पके–पकाये भोजन उपलब्ध कराये जाते हैं, जैसी योजनाओं एवं मातृ वंदना योजना के तहत उपलब्ध करायी जाने वाली राशि की निगरानी, शिकायतों का निवारण, एक्ट में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्रवाई और नीति निर्धारण में राज्य सरकार को समुचित सलाह देने की जिम्मेवारियों का निर्वहन खाद्य आयोग सम्पूर्ण समर्पण के साथ कर रहा है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान भी आयोग सभी जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुँचाने की राज्य सरकार की योजनाओं का पूरी सक्रियता के साथ निगरानी करता रहा। इस दौरान खाद्यान्न की कमी की शिकायतों पर आयोग की त्वरित कार्रवाई से हज़ारों लोगों को सस़मय राहत पहुँचाया जा सका। आयोग के सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उरांव ने साहेबगंज जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों को खाद्यान्न पहुँचाने के जिला प्रशासन के प्रयासों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव और दिशा– निर्देश अधिकारियों को दिये।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजनाओं की जानकारी और जनता को उनके अधिकार से अवगत कराने के लिए आयोग ने संचार माध्यमों के लिए विज्ञापन सामग्री तैयार करवा कर इसे टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करवाया। आयोग का मूल मंत्र है –अधिकार जानो, अधिकार मांगो।

जनसुलभता के प्रयासों के तहत आयोग द्वारा व्हाट्सएप नम्बर जारी कर शिकायत दर्ज कराने के नए विकल्प उपलब्ध कराए गये। व्हाट्सएप नम्बर जारी होने के बाद हर रोज़ बड़ी संख्या में आयोग को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आयोग की वेबसाइट को भी सरल और बहु आयामी बनाया गया है ताकि शिकायतकर्ता ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा पाये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को भी सरल और सुगम बनाया गया है। आयोग की कोशिश है कि राज्य के दूर– दराज के शिकायतकर्ता अपने घर या पंचायत से ही सुनवाइयों में शामिल हो पाए ,उन्हें राँची नहीं आना पड़े। आयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिले अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराने और शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल सेंटर प्रारंभ करने की योजना पर भी काम कर रहा है। खाद्य आयोग में सदस्यों की कमी,कर्मचारियों की कमी के बावजूद आयोग ने हर जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ किया है। शिकायतों के त्वरित निष्पादन, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी, स्थलीय निरीक्षण, संबंधित विभाग को नीति निर्धारण में सुझाव और सलाह देने में तत्परता के लिए आयोग के सभी वर्तमान और निवर्तमान सदस्य और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

आयोग के पहले अध्यक्ष की हैसियत से श्री सुधीर प्रसाद ने अपने प्रयासों और अनुभवों से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को नई ऊंचाई छूने की आधारशिला रखी। खाद्य आयोग पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर प्रसाद के योगदान को सलाम करता है। हाल में ही आयोग में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उरांव एवं आयोग के सदस्य श्री हलधर महतो, डॉक्टर रंजना कुमारी का समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता आयोग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। सदस्य के तौर पर हाल में योगदान देने वाली श्रीमती शबनम परवीन ने अल्प काल में ही अपनी कार्यदक्षता और अनुभवों से आयोग के कार्य निष्पादन में नई गति प्रदान की है। बतौर सदस्य सचिव आयोग में योगदान देने वाले श्री संजय कुमार के पारदर्शी कार्यप्रणाली और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का लाभ आयोग को हुआ। इनके प्रयासों के कारण ही आयोग अपने नए कार्यालय में अल्प समय में हर जरूरी साधन और संसाधनों की व्यवस्था कर पाया। प्रशाखा पदाधिकारी श्री सिकन्दर

राय, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी श्री कुमार रविश, श्री विनोद कुमार वर्मा के कर्तव्य परायणता को आयोग मिशाल मानता है। आयोग कार्यालय में बतौर प्रोग्रामर, आशुलिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत श्री संदीप कुमार, श्री जियाउल रहमान, सुश्री प्रेमलता, श्रीमती अंजू कुमारी, श्रीमती रचना देवी, सुश्री जया कुमारी एवं श्री सुनील कुमार दास के ससमय कार्य निष्पादन के कारण ही आयोग जन अपेक्षाओं पर खरा उतर पा रहा है। आयोग में अपना योगदान दे रहे गृह रक्षक श्री अजीत कुमार,श्री महेंद्र कुमार, श्री प्रिंस कुमार,श्री भोला कुमार, श्री हरेंद्र कुमार,श्री जय किशन शर्मा एवं श्री मनोज कुमार पाल का सहयोग सराहनीय रहा है। अनुसेवक श्रीमती उषा कुमारी और श्री सुमित कच्छप का सेवा भाव अनुकरणीय रहा। वाहन चालक के तौर पर श्री रफेल लिंडा, श्री राजू लिंडा,श्री जसवंत महतो और श्री जैनुल सदैव अपनी दक्षता साबित करते रहे।

भोजन के अधिकार और इससे जुड़े अन्य उन सभी गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के प्रति आयोग दिल की गहराईयों से आभार व्यक्त करता है जिन्होंने समय समय पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित किया। आयोग में इन्टर्नशिप करने वाले छात्र–छात्राओं ने अपने परिश्रम से कई नए तथ्य सामने लाये। आयोग ऐसे सभी छात्र–छात्राओं के बेहतर भविष्य की कामना करता है।

आयोग अपने कार्यप्रणाली को जन सुलभ और पारदर्शी बनाने के प्रति कृतसंकल्पित है। इस दिशा में सबका सहयोग और सबका सुझाव अपेक्षित है।

अध्याय–1

एक संक्षिप्त परिचय

1-1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 भारत की संसद का एक अधिनियम है।
- यह 10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया गया।
- यह अधिनियम कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह अधिनियम जन्म से लेकर जीवन के अन्त तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
- इसका उद्देश्य भारत की आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों का 75 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल आबादी का लगभग दो तिहाई को सहायता प्राप्त दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
- इसके अन्तर्गत 13 अध्याय एवं 4 अनुसूची हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य धाराओं का सारांश :–

अध्याय–ii : (धारा 3, 4, 5 एवं 6)– खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध/हकदारियों का सारांश

(कम दर या सहायता प्राप्त दर पर अनाज, गर्भवती स्त्रियों एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता, बालकों एवं बालिकाओं को पोषाहार सहायता, बाल–कुपोषण का निवारण एवं प्रबंधन)

- परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम से राशन कार्ड का होना।
- हकदारियों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन।

अध्याय–iii : (धारा–8)

- खाद्य सुरक्षा भत्ता।

अध्याय–iv : (धारा–9,10 एवं 11) – पात्र गृहस्थी की पहचान।

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।
- राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।
- पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

अध्याय–v : (धारा–12)– लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

- खाद्यान्न का वितरण घर पर किया जाना।

- हर स्तर पर अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- खाद्यान्न सामग्री की विविधता।

अध्याय–vi :

- राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।
- अगर किसी परिवार में कोई स्त्री 18 वर्ष से ऊपर की नहीं है, तब गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा।

अध्याय–vii :

- धारा–14 : आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (कॉल सेंटर, उदाहरण–PDS का PGMS)।
- धारा–15 : जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के बारे में (कार्य और दायित्व)।
- धारा–16 : राज्य खाद्य आयोग के बारे में (कार्य और दायित्व)।
- धारा–17 : जाँच की शक्तियाँ।
- धारा–20 (2) : राज्य खाद्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा मामला अग्रेसित किया जाता है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेसित किया गया है।

अध्याय–xi : पारदर्शिता और जवाबदेही

- धारा–27 : लक्षित जन वितरण प्रणाली के सभी अभिलेख सार्वजनिक प्रभुत्व के क्षेत्र में जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा।
- धारा–28 : सामाजिक अंकेक्षण (Social Audits)।
- धारा–29 : विभिन्न स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के कर्तव्य और दायित्व के बारे में।

अध्याय–xii : विशेष योजना

- धारा–30 : दूरस्थ, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा (उदाहरणः– डाकिया योजना–झारखण्ड के लिए)
- धारा–31 : खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय–

 (i) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण (Revitalisation of Agriculture)

 (ii) अधिप्राप्ति, भंडारण एवं लाने ले जाने से संबंधित (Procurement, Storage and Movement related)

(iii) अन्य सेवाएँ:– निम्न तक पहुँच, यथा– सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, किशोरी बालिकाओं को पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता और वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन।

अध्याय–xiii : प्रकीर्ण

- धारा–33 : शास्तियाँ

अगर कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य खाद्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये अनुतोष को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने असफल रहने का या ऐसी सिफारिश का जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जायेगा, तो पाँच हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व यथास्थिति, लोकसेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

- धारा–34 : न्यायनिर्णयन की शक्ति
- राज्य आयोग, धारा–33 के अधीन शास्ति का न्याय निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित रीति से जाँच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

1.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित हकदारियाँ

(क) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहायता प्राप्त दर पर अनाज (राशन दुकान पर) :–

1. PHH/पुर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार (गुलाबी कार्ड धारक) को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति 1 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से प्रतिमाह। (01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक नि:शुल्क)
2. अंत्योदय अन्न योजना या पीला कार्ड धारक को 35 कि0ग्रा0 अनाज 1 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से प्रतिमाह। (01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक नि:शुल्क)
3. डाकिया योजना सभी पीला कार्ड धारी विशिष्ट जनजाति के परिवार को नि:शुल्क 35 कि0ग्रा0 अनाज (बिना कोई मूल्य चुकाए) सीलबंद बैग/बोरा में, घर पहुँचाकर प्रतिमाह।

(ख) मध्याह्न भोजन योजना (प्रत्येक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में) :–

सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में छः से चौदह वर्ष के बालको अथवा कक्षा–1 से 8 तक प्रत्येक नामांकित बच्चे को प्रत्येक विद्यालय दिवस पर मेन्यू के अनुसार पका–पकाया गर्म भोजन एवं नाश्ता पाने का अधिकार।

(ग) समेकित बाल विकास योजना (आँगनबाड़ी केन्द्रों में):–

लाभुक वर्ग	ICDS के मानदंडो के अनुसार पोषण सहायता
गर्भवती महिला/धात्री माता	घर ले जाने वाला राशन (THR)।
6 से 36 माह के बच्चे	घर ले जाने वाला राशन (THR)।
3 से 6 साल के बच्चे	सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन – सप्ताह में 3 दिन अंडा (साल में कम से कम 300 दिन)

(घ) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (आँगनबाड़ी केन्द्रों में) :–

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (सिर्फ प्रथम बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर, गर्भवती एवं धात्री माता को)
1. प्रथम किस्त 1000 रु0/– आँगनबाड़ी केन्द्र पर, गर्भधारण का पंजीकरण कराने पर।
2. दूसरा किस्त 2000 रु0/– कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद (गर्भधारण के 6 माह के बाद) इसका दावा किया जा सकता है।
3. तीसरा किस्त 2000 रु0/– बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने एवं BCG, OPV, DPT एवं Hepatitis-B या इसके समतुल्य टीकाकरण के पूरे हो जाने के बाद।
नोट:–लाभार्थी (महिला) को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत् 1000/–रु0 की राशि दिये जाने का प्रावधान है।
गर्भधारण के 730 दिनों तक ही लाभार्थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दावा कर सकते हैं।

1.3 राज्य खाद्य आयोग– भूमिका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–40 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प ज्ञा0–7380 दि0–09.12.2015 द्वारा राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2015 को स्वीकृति दी गयी।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2015 की धारा–10 में राज्य खाद्य आयोग की निम्नलिखित भूमिका है:–

नीति निर्धारण/सुझाव (बैठक, शोध–अध्ययन)

खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निपटारा (कोर्ट/न्यायालय) ← **झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग** → खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

प्रचार–प्रसार (कार्यशाला–सेमिनार, प्रकाशन, विज्ञापन)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–12 की धारा–31 खाद्य तथा पोषणाहार संबंधी सुरक्षा की ओर अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों से सामंजस्य की आवश्यकता है। यथा:– (1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण (2) अनाज की खरीद (Procurement), भंडारण, उठाव–पहुँच (Transportation) (3) सुरक्षित पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा एवं पेंशन स्कीम कल्याण योजना का समन्वय।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के प्रति जवाबदेह विभाग :–

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

प्रत्यक्ष रूप से	अप्रत्यक्ष रूप से
1. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। 2. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (मध्याह्न भोजन योजना)। 3. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (समेकित बाल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। 2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। 3. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

1.4 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नांकित हैं :–

1. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को लागू करना एवं उसका अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघन की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जाँच करना।
3. राज्य सरकार को राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देना।
4. राज्य सरकार, उसके एजेन्सी या स्वायत निकाय और गैर सरकारी संगठनों जो कि खाद्य एवं पोषण संबंधित योजनाओं के लिए कार्य करती है; उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत कार्यरत योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु सलाह देना।
5. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना।
6. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–सभा के समक्ष रखी जायगी।
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का निवारण हेतु सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का अनुपालन कर कर्तव्यों का निर्वहन करना।
8. राज्य खाद्य आयोग किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकता है, जो अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा, मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–346 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है।
9. अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप आयोग को अपनी कार्य प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति है।

1.5 झारखण्ड की वस्तुस्थिति– कुछ महत्वपूर्ण आँकड़े (विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की संख्या)

1. आँगनबाड़ी से संबंधित आँकड़े

क्र0सं0	आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या से संबंधित आँकड़े (दिनांक–05.01.2022 के आँकड़ों के अनुसार)	
1	आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	38,432
2	लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	–

क्र0सं0	आँगनबाड़ी के कुल लाभुकों की संख्या (दिनांक–05.01.2022 के आँकड़ों के अनुसार)	
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की संख्या	16,88,828
2	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या	12,09,662

3	गर्भवती महिलाओं की संख्या	3,36,447
4	धात्री माताओं की संख्या	3,54,668

2. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से संबंधित आँकड़े

क्र0सं0	प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के कुल लाभुकों की संख्या	(01 जुलाई 2020–30 जून 2021 तक)	(मार्च 2021 से दिसंबर 2021 तक)
1	निबंधित महिलाओं की संख्या	1,40,142	81419
2	प्रथम किस्त प्राप्त महिलाओं की संख्या	1,39,429	30923
3	द्वितीय किस्त प्राप्त महिलाओं की संख्या	2,86,084	65272
4	तृतीय किस्त प्राप्त महिलाओं की संख्या	2,47,608	71260

3. जनवितरण प्रणाली से संबंधित आँकड़े

जनवितरण प्रणाली दुकानें एवं लाभुक परिवार	संख्या
• राज्य में कुल जन वितरण प्रणाली की दुकानें (दिनांक–25.02.2022 के अनुसार)	25,447
• राज्य में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित दुकानों की संख्या	7,769
• कुल राशन कार्ड धारक परिवार की संख्या (दिनांक–25.02.2022 के अनुसार)	59,28,023
• जन वितरण प्रणाली से आच्छादित लाभुकों की कुल संख्या (दिनांक–25.02.2022 के अनुसार)	2,64,14,789
• कुल पूर्वविक्ता प्राप्त लाभुक परिवार (दिनांक–25.02.2022 के अनुसार)	50,29,211
• कुल पूर्वविक्ता प्राप्त लाभुक सदस्य (दिनांक–25.02.2022 के अनुसार)	2,28,42,600
• अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित लाभुक परिवार (दिनांक–25.02.2022 के अनुसार)	8,98,812
• अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित लाभुक सदस्य (दिनांक–25.02.2022 के अनुसार)	35,72,189
• डाकिया योजना के अन्तर्गत लाभुक परिवार (दिनांक–22.12.2021 के अनुसार)	73,670
• डाकिया योजना के तहत् लाभुकों की संख्या (दिनांक–22.12.2021 के अनुसार)	2,81,400

4. मध्याह्न भोजन के अंर्तगत लाभांवित बच्चे

वित्तीय वर्ष 2020–21

कुल विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	औसत आच्छादित बच्चों की संख्या
35,616	40,48,033	31,99,800

मध्याह्न भोजन से कुल लाभांवित बच्चों का प्रतिशत 64.925:

Source:- JSMDMA

क्र0 सं0	कक्षा i-v तक	नामांकित बच्चों की कुल संख्या	औसत लाभांवित बच्चों की संख्या
1.	सरकारी केन्द्र एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित	37,70,689	29,89,997.372
2.	सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय लाभांवित	2,40,015	1,84,257
3.	विशेष प्रशिक्षण केन्द्र	3,812	2,321
4.	मदरसा/मकतब	33,517	23,225
	कुल	40,48,033	31,99,800

राज्य के विभिन्न जिलों में कुपोषण उपचार केन्द्रों एवं अतिकुपोषित बच्चों से संबंधित विवरणी (वित्तीय वर्ष–2020–21 एवं 2021–22 {दिसंबर 2021 तक}) :–

Sl. No.	District	MTC	Available Bed Strength	District wise SAM children admitted (Financial Year 2020-21)			District wise SAM children admitted (Financial Year 2021-22, upto Dec-2021)		
				Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	Bokaro	4	50	243	109	134	306	138	168
2	Chatra	4	45	271	138	133	394	199	195
3	Deoghar	5	50	254	125	129	122	49	73
4	Dhanbad	3	40	119	50	69	85	41	44
5	Dumka	4	45	349	166	183	310	144	166
6	East-Singhbhum	5	60	219	102	117	477	209	268
7	Garhwa	4	50	311	145	166	287	150	137
8	Giridih	4	40	225	103	122	318	146	172
9	Godda	5	50	554	260	294	575	264	311
10	Gumla	4	55	203	83	120	183	96	87
11	Hazaribagh	4	50	225	118	107	218	112	106
12	Jamtara	3	40	172	86	86	163	87	76
13	Khunti	4	50	253	155	131	221	109	112
14	Koderma	3	30	218	86	132	206	100	106
15	Latehar	4	45	326	152	174	272	135	137

16	Lohardaga	3	30	214	98	116	153	71	82
17	Pakur	3	35	217	111	106	195	88	107
18	Palamu	5	55	367	154	213	231	97	134
19	Ramgarh	3	30	168	87	81	132	67	65
20	Ranchi	4	55	273	124	149	211	93	118
21	Sahibganj	4	50	183	93	90	253	111	142
22	Seraikela-Kharsawan	4	40	293	125	168	254	104	150
23	Simdega	5	50	392	189	203	283	119	164
24	West-Singhbhum	5	60	1061	510	551	963	494	469
Total		96	1105	7110	3336	3774	6812	3223	3589

Source :- झा0ग्रा0स्वा0मि0समिति

झारखण्ड राज्य के 0 से 5 वर्ष तक के ग्रामीण एवं शहरी कुपोषित बच्चों का NFHS V एवं NFHS IV के आँकडों का तुलनात्मक विवरणी :–

	NFHS V (Jharkhand) 2019-21				NFHS IV (Jharkhand) 2015-16	National Average
		U (%) (शहरी)	R (%) (ग्रामीण)	Total (%) (कुल)	Total (%)	(%)
A	(Wasted) weight for height	23	22.3	22.4	29	19.3
B	(Under weight) weight for age	30	41.4	39.4	47.8	32.1
C	(Stunted) height for age	26.8	42.3	39.4	45.3	35.5
D	(Severely wasted) weight for height	10.7	8.8	9.1	11.4	7.7

महत्वपूर्ण बिन्दु

- झारखण्ड में wasted बच्चों की संख्या में 6.6% की कमी आयी है।
- Underweight बच्चों की संख्या में 8.4% की कमी है।
- Stunted बच्चों की संख्या में 5.9% की कमी है।
- Severly wasted बच्चों की संख्या 2.3% की कमी है।

नोट :– ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में wasted, underweight, stunted एवं severely wasted बच्चों की संख्या का प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निर्भरता मूलतः आँगनबाड़ी केन्द्रों पर ही रहती है। स्वास्थ्य एवं पोषण की गुणवत्ता बढ़ाने पर ही इन बच्चों के कुपोषण की स्थिति को दूर की जा सकती है। गर्भावस्था के प्रारंभ से 2 वर्ष तक के बच्चों की माँ को गुणवत्ता युक्त पोषण प्राप्त होना एवं समयानुसार माँ–बच्चे के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाना। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गर्भवती माता को दिया जाने वाला भोजन उनके द्वारा खाया जाता है।

पोषण को प्रभावित करने वाले सूचकांक

National Family Health Survey V एवं IV का तुलनात्मक विवरण एवं वर्तमान राष्ट्रीय औसत दर से तुलना।

Sl. No.	Indicators	NFHS (V) (Jharkhand) 2019-21			NFHS (IV) (Jharkhand) 2015-16	National Average (V)
		U (%)	R (%)	Total (%)	Total (%)	
1	Sex ratio of the total population (females/1000 males)	989	1070	1050	1,002	1020
2	Sex Ratio at birth for children born in the last five yrs (females/1000 males)	781	926	899	919	929
3	womens who are literate(%)	80.1	55.6	61.7		71.5
4	women age 20-24 yrs married before age 18 yrs (%)	19.4	36.1	32.2	37.9	23.3
5	Mothers who had antenatal checkup in the first trimester (%)	76.2	66.2	68.0	52.0	70.0
6	Mother who had at least 4 antenatal care visit (%)	48.5	36.4	38.6	30.3	58.1
7	Mothers who consumed iron folic acid for 180 days or more when they were pregnant (%)	22.3	13.2	14.9	4.2	26.0
8	Institutional birth(%)	89.1	73.1	75.8	61.9	88.6
9	Children age 12-23 months fully vaccinated based on information from vaccination card only (%)	74.6	80.1	79.2	72.7	83.8
10	Children under age 03 yrs breastfeed within one hour of birth (%)	22.5	21.3	21.5	33.1	41.8
11	Children under age 06 months exclusive breastfeed (%)	61.6	78.6	76.1	64.8	63.7
12	Population Living in household with an improved drinking water source (%)	94.6	84.1	86.6	78.1	95.9
13	Population Living in household that use an improved sanitation (%)	75.9	50.8	56.7	25	70.2

Source :- NFHS-V (2019-21)

नोट :– तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं की शिक्षा दर, विवाह का उम्र, गर्भावस्था में पूर्ण चेकअप, फॉलिक एसिड–ऑयरन टेबलेट का उपयोग, संस्थागत प्रसव, स्तनपान एवं संपूर्ण टीकाकरण को अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-v के अनुसार झारखण्ड राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है पर अभी भी राष्ट्रीय औसत दर से यह काफी पिछड़ा हुआ है।

पोषण को प्रभावित करने वाले सूचकांक

National Family Health Survey V एवं IV का तुलनात्मक विवरण एवं वर्तमान राष्ट्रीय औसत दर से तुलना।

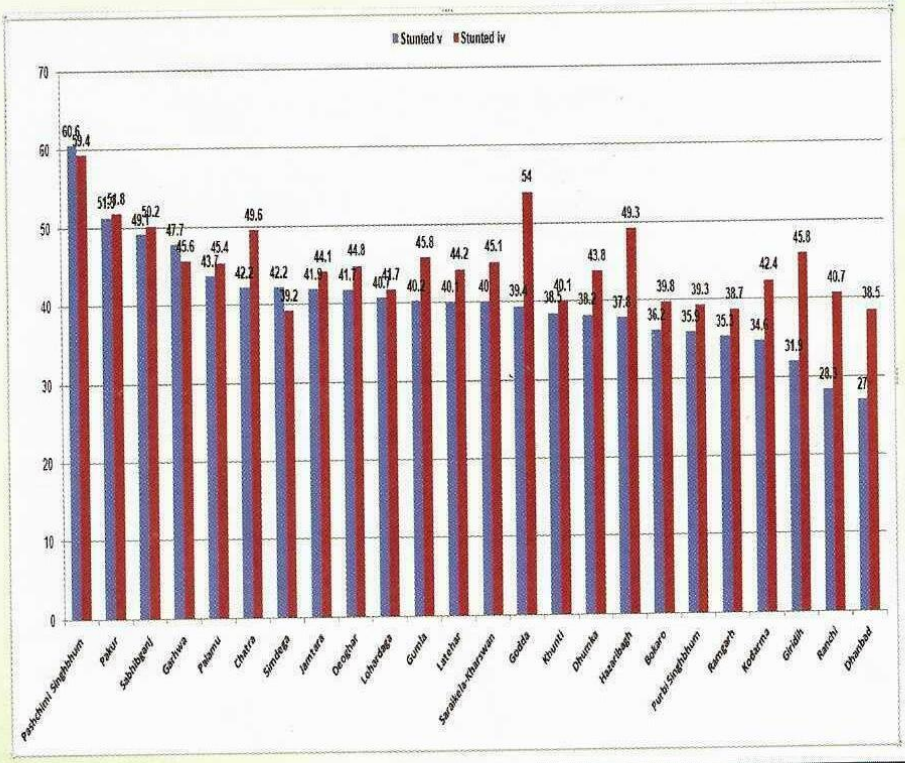
एनिमिया एवं body mass index का तुलनात्मक अध्ययन NFSA iv एवं v।

Sl. No.	Indicators	NFHS V (Jharkhand) 2019-21			NFHS IV (Jharkhand) 2015-16	National Average
		U (%)	R (%)	Total (%)	Total (%)	%
1	Women Whose Body Mass Index is below normal (BMI <18.5 Kg/m^2)	17.3	29.2	26.2	31.5	18.7
2	Men Whose Body Mass Index is below normal (BMI<18.5 Kg/m^2)	12.1	18.9	17.1	23.8	16.2
3	Children age 6-59 months who are anaemic (<11.0 g/dl) (%)	65.5	67.9	67.5	69.9	67.1
4	Non-pregnant women age 15-49 yrs who are anaemic (<12.0 g/dl) (%)	61.6	67.0	65.7	65.3	57.2
5	Pregnant women age 15-49 yrs who are anaemic (%)	45.5	59.2	56.8	62.6	52.2
6	All women age (15-49) who are anaemic	61.1	66.7	65.3	65.2	57.0
7	All women age 15-19 yrs who are anaemic (%)	63.2	66.5	65.8	65.0	59.1
8	Men age 15-49 who are anaemic (<13.0 g/dl) (%)	27.1	30.5	29.6	29.8	25.0

Source:- NFHS-V (2019-21)

नोट :– उपरोक्त डाटा से हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि कुपोषण का महत्वपूर्ण कारण माँ का कुपोषित होना भी है। 15–49 वर्ष की महिलाओं के डाटा के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि 65.7% महिलाएँ एनिमिया की शिकार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत् किशोरियों के पोषण पर बल देने की आवश्यकता है।

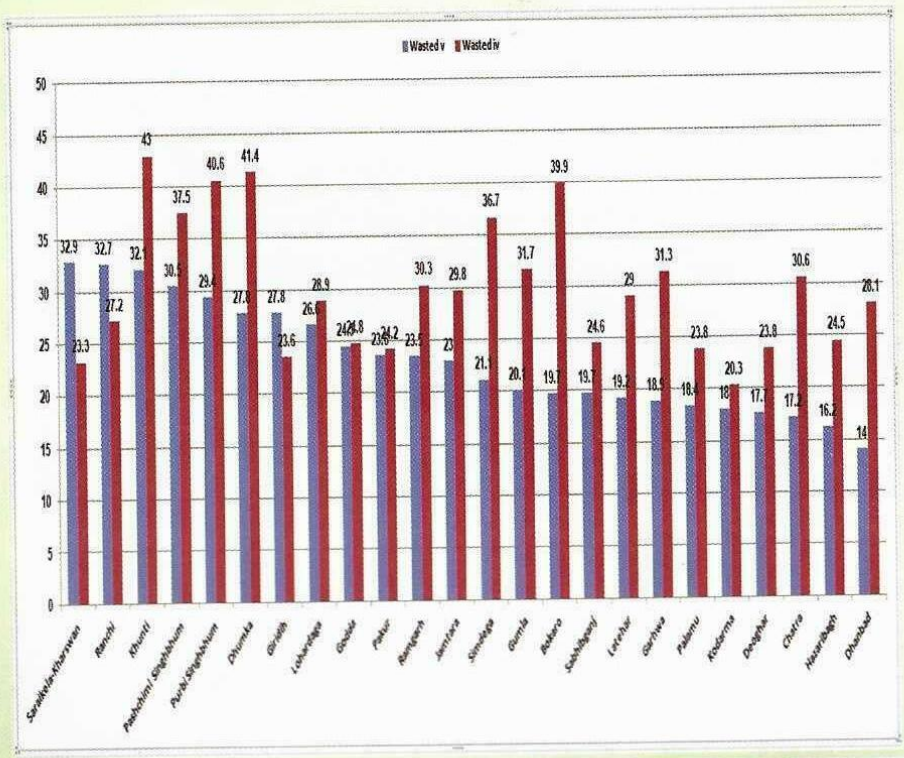
0 से 5 वर्ष के बौनापन से शिकार बच्चों का NFHS (iv एवं v) का तुलनात्मक अध्ययन



Sl.No.	District	73 Stunted	
		v	iv
1	Pashchimi Singhbhum	60.6	59.4
2	Pakur	51.3	51.8
3	Sabhibganj	49.1	50.2
4	Garhwa	47.7	45.6
5	Palamu	43.7	45.4
6	Chatra	42.2	49.6
7	Simdega	42.2	39.2
8	Jamtara	41.9	44.1
9	Deoghar	41.7	44.8
10	Lohardaga	40.7	41.7
11	Gumla	40.2	45.8
12	Latehar	40.1	44.2
13	Saraikela-Kharswan	40	45.1
14	Godda	39.4	54
15	Khunti	38.5	40.1
16	Dhumka	38.2	43.8
17	Hazaribagh	37.8	49.3
18	Bokaro	36.2	39.8
19	Purbi Singhbhum	35.9	39.3
20	Ramgarh	35.3	38.7
21	Kodarma	34.6	42.4
22	Giridih	31.9	45.8
23	Ranchi	28.3	40.7
24	Dhanbad	27	38.5

झारखण्ड में बौनापन की स्थिति जिलावार अवरोही क्रम में

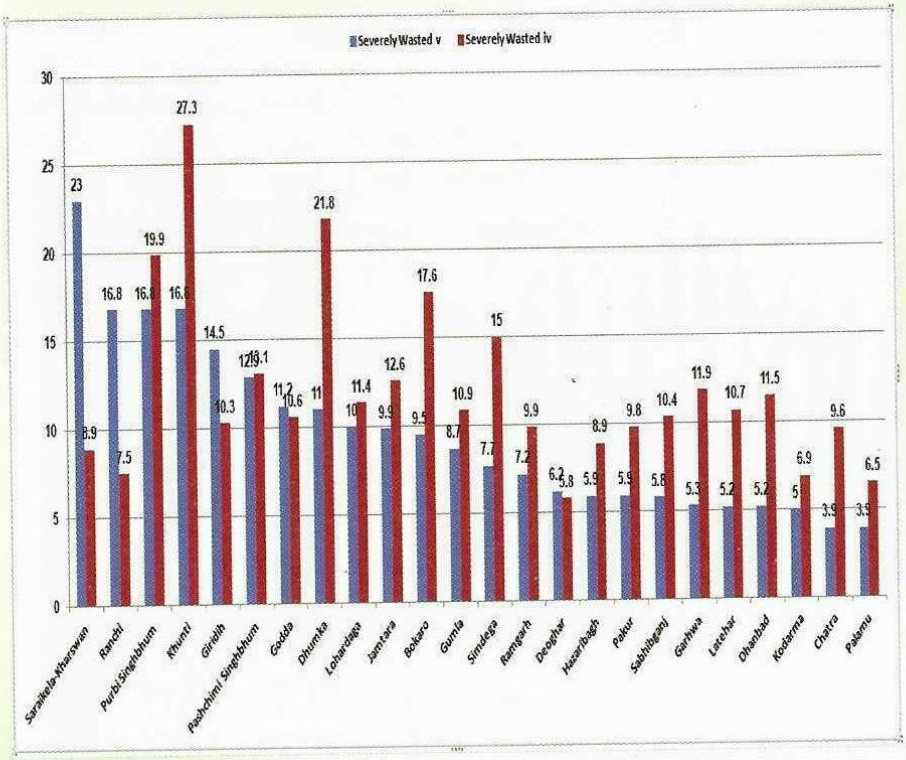
0 से 5 वर्ष के दुबलापन से शिकार बच्चों का NFHS (iv एवं v) का तुलनात्मक अध्ययन



Sl.No.	District	74 Wasted	
		v	iv
1	Saraikela-Kharswan	32.9	23.3
2	Ranchi	32.7	27.2
3	Khunti	32.1	43
4	Pashchimi Singhbhum	30.5	37.5
5	Purbi Singhbhum	29.4	40.6
6	Dhumka	27.8	41.4
7	Giridih	27.8	23.6
8	Lohardaga	26.6	28.9
9	Godda	24.5	24.8
10	Pakur	23.6	24.2
11	Ramgarh	23.5	30.3
12	Jamtara	23	29.8
13	Simdega	21.1	36.7
14	Gumla	20.1	31.7
15	Bokaro	19.7	39.9
16	Sabhibganj	19.7	24.6
17	Latehar	19.2	29
18	Garhwa	18.9	31.3
19	Palamu	18.4	23.8
20	Kodarma	18	20.3
21	Deoghar	17.7	23.8
22	Chatra	17.2	30.6
23	Hazaribagh	16.2	24.5
24	Dhanbad	14	28.1

झारखण्ड में दुबलापन की स्थिति जिलावार अवरोही क्रम में

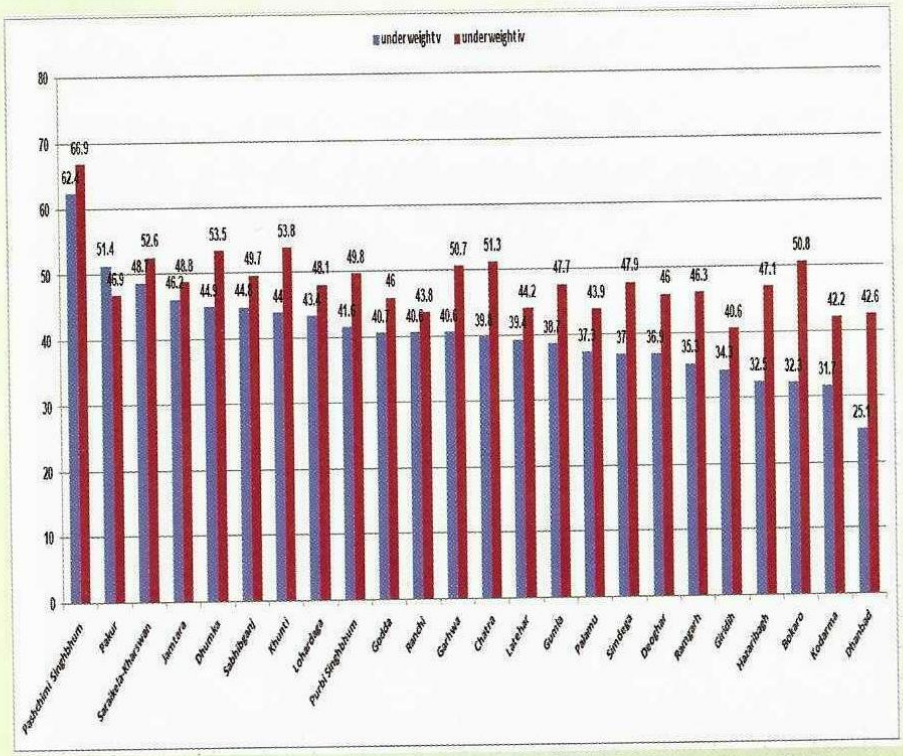
0 से 5 वर्ष के अतिदुबलापन से शिकार बच्चों का NFHS (iv एवं v) का तुलनात्मक अध्ययन



Sl.No.	District	75 Severely Wasted	
		v	iv
1	Saraikela-Kharswan	23	8.9
2	Ranchi	16.8	7.5
3	Purbi Singhbhum	16.8	19.9
4	Khunti	16.8	27.3
5	Giridih	14.5	10.3
6	Pashchimi Singhbhum	12.9	13.1
7	Godda	11.2	10.6
8	Dhumka	11	21.8
9	Lohardaga	10	11.4
10	Jamtara	9.9	12.6
11	Bokaro	9.5	17.6
12	Gumla	8.7	10.9
13	Simdega	7.7	15
14	Ramgarh	7.2	9.9
15	Deoghar	6.2	5.8
16	Hazaribagh	5.9	8.9
17	Pakur	5.9	9.8
18	Sabhibganj	5.8	10.4
19	Garhwa	5.3	11.9
20	Latehar	5.2	10.7
21	Dhanbad	5.2	11.5
22	Kodarma	5	6.9
23	Chatra	3.9	9.6
24	Palamu	3.9	6.5

झारखण्ड में अतिदुबलापन की स्थिति जिलावार अवरोही क्रम में

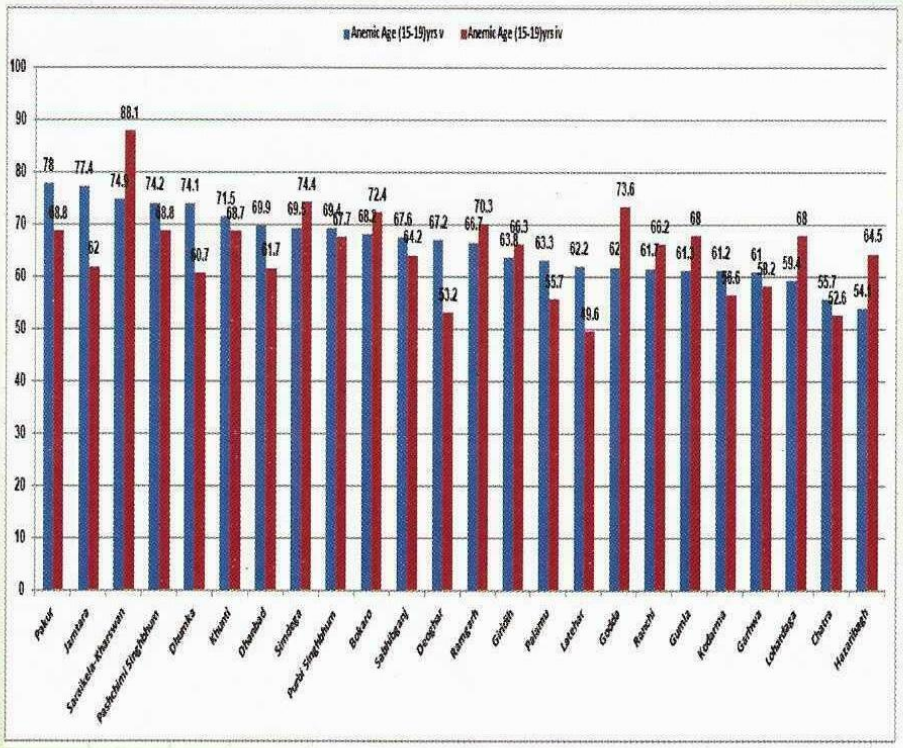
0 से 5 वर्ष के कम वजन वाले बच्चों का NFHS (iv एवं v) का तुलनात्मक अध्ययन



District	76 under weight	
	v	iv
Pashchimi Singhbhum	62.4	66.9
Pakur	51.4	46.9
Saraikela-Kharswan	48.7	52.6
Jamtara	46.2	48.8
Dhumka	44.9	53.5
Sabhibganj	44.8	49.7
Khunti	44	53.8
Lohardaga	43.4	48.1
Purbi Singhbhum	41.6	49.8
Godda	40.7	46
Ranchi	40.6	43.8
Garhwa	40.6	50.7
Chatra	39.8	51.3
Latehar	39.4	44.2
Gumla	38.7	47.7
Palamu	37.3	43.9
Simdega	37	47.9
Deoghar	36.9	46
Ramgarh	35.3	46.3
Giridih	34.3	40.6
Hazaribagh	32.5	47.1
Bokaro	32.3	50.8
Kodarma	31.7	42.2
Dhanbad	25.1	42.6

झारखण्ड में कम वजन वाले बच्चों की स्थिति जिलावार अवरोही क्रम में

15 से 19 वर्ष की एनिमिया से ग्रसित किशोरियों का तुलनात्मक अध्ययन (NFHS iv एवं v)



15 से 19 वर्ष की एनिमिया से ग्रसित किशोरियों का तुलनात्मक अध्ययन(NFHS v एवं iv)

Sl.No.	District	85 Anemic Age (15-19)yrs	
		v	iv
1	Pakur	78	68.8
2	Jamtara	77.4	62
3	Saraikela-Kharswan	74.9	88.1
4	Pashchimi Singhbhum	74.2	68.8
5	Dhumka	74.1	60.7
6	Khunti	71.5	68.7
7	Dhanbad	69.9	61.7
8	Simdega	69.5	74.4
9	Purbi Singhbhum	69.4	67.7
10	Bokaro	68.2	72.4
11	Sabhibganj	67.6	64.2
12	Deoghar	67.2	53.2
13	Ramgarh	66.7	70.3
14	Giridih	63.8	66.3
15	Palamu	63.3	55.7
16	Latehar	62.2	49.6
17	Godda	62	73.6
18	Ranchi	61.7	66.2
19	Gumla	61.3	68
20	Kodarma	61.2	56.6
21	Garhwa	61	58.2
22	Lohardaga	59.4	68
23	Chatra	55.7	52.6
24	Hazaribagh	54.1	64.5

झारखण्ड में एनिमिया से ग्रसित किशोरियों की जिलावार अवरोही क्रम में

अध्याय–2

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

2.1 बैठकें (Meetings) :–

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन एवं इस संबंध में आयोग की भूमिका के सुदृढ़िकरण हेतु समय–समय पर आयोग द्वारा बैठकें आयोजित की गई। प्रतिवेदित अवधि में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न बैठकों में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय की विवरणी निम्नवत् है:–

1) **दिनांक–18.12.2020** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग की 15वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें NFSA-2013 की धारा–16 (6) (C) के अन्तर्गत राज्य सरकार को विभिन्न विषयों पर परामर्श देने हेतु सर्वे/अध्ययन कराए जाने हेतु EOI के माध्यम से सूचिबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों को कार्य दिये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विचार किया गया।

बैठक में चर्चा के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तहत् सूचिबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों को कार्य देने हेतु विषय निर्धारित करते हुए राँची के हिनू क्षेत्र के वार्ड नं0–49 में NFSA अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति का अध्ययन कराए जाने का निर्णय लिया गया।

जिला खनन निधि का उपयोग सर्वे/अध्ययन के कार्यों में किए जाने हेतु संबंधित जिला उपायुक्त को पत्र प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया। NFSA–2013 की धारा (20)(2) एवं धारा–33 के संबंध में इन धाराओं के तहत दोषियों पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। साथ ही एक आंतरिक सेल गठन के संबंध में भी निर्णय लिया गया।

2) **दिनांक–10.02.2021** को कुपोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु जिला खनन फॉउन्डेशन (DMF) निधि का प्रयोग कर कार्यक्रम शुरू किये जाने की संभावना पर विचार विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि रामगढ़ जिले में पूर्व से ही छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में उड़िसा सरकार द्वारा जिला खनन फॉउन्डेशन निधि का उपयोग कर कुपोषण दूर करने से संबंधित कार्यक्रम व्यापक रूप से अभियान चलाए जाने की बात सामने आई। इससे उड़िसा राज्य के स्वास्थ्य एवं पोषण के आंकड़ों में व्यापक सुधार हुआ है। इसी प्रकार का कार्य झारखण्ड राज्य में भी चलाया जा सकता है। सुझाव दिया गया कि झारखण्ड के पदाधिकारी उड़िसा राज्य के आस–पास के जिलों में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। ताकि उनसे सीख लेकर झारखण्ड में भी इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा सके। इसके अतिरिक्त कुपोषण उपचार केन्द्रों में अतिकुपोषित बच्चों एवं उनकी माताओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये जाने के संबंध में भी विचार–विमर्श किया गया।

3) **दिनांक–21.06.2021** को झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–20 (2) से आच्छादित मामलों पर चर्चा हेतु बैठक का आयोजन आयोग कार्यालय में किया गया। जिसमें आयोग के माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, श्री हलधर महतो एवं डॉ0 रंजना कुमारी तथा अधिवक्ता श्री बी0एन0 चौधरी एवं श्रीमती रोहिनी कुमारी प्रजापति उपस्थित हुए। बैठक में आयोग द्वारा बताया गया कि

अधिकतर मामलों में आयोग न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दिये गये आदेशों का अनुपालन हो जाता है, किन्तु कुछ मामलों में प्रतिवादी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा–33 एवं धारा 20 (2) के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसी क्रम में अधिवक्ताओं द्वारा सलाह दी गई कि किसी भी आदेश का अनुपालन कराने हेतु संबंधित मामले को अधिनियम की धारा–20 (2) के तहत कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के मजिस्ट्रेट के पास केस दायर किया जा सकता है। अधिवक्ताओं को Empanel किये जाने के संबंध में उनसे आग्रह किया गया कि उनकी स्वीकृति 1 सप्ताह के अन्दर आयोग कार्यालय में समर्पित कर दिया जाय। फीस एवं परिवहन भत्ता पर अधिवक्ताओं के द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर समीक्षा कर निर्णय लिये जाने की चर्चा की गई।

4) **दिनांक–01.07.2021** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्षता में आयोग की 16वीं बैठक आयोजित की गई। जिसमें आयोग कार्यालय के साथ सूचिबद्ध संस्थानों/व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों का अध्ययन/मूल्यांकन करने एवं इसके उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आयोग कार्यालय हेतु माननीय सदस्य श्री हलधर महतो की देख–रेख में एक विधि कोषांग गठन करने का निर्णय लिया।

5) **दिनांक–25.08.2021** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन के विषय पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित निर्णय लिए गए:–

(1) आयोग द्वारा पारित आदेशों यथा आँगनबाड़ी केन्द्रों के लाभान्वितों का अनाज बन्द रहने के मामले में खाद्य सुरक्षा भत्ता से संबंधित पारित न्यायादेश के संबंध में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा आश्वस्त किया गया कि खाद्य सुरक्षा भत्ता से संबंधित न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार से पत्राचार कर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए खाद्य सुरक्षा भत्ता की देनदारी पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता के लिए सभी जिलों में Revolving Fund उपलब्ध कराया गया है। ऐसी व्यवस्था के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने हेतु महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया।

(3) NFSA-2013 की धारा–14 के तहत् आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली (वेबसाईट/टॉल फ्री नं0) को विकसित किये जाने के बारे में चर्चा की गई।

(4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–28 के तहत् सामाजिक अंकेक्षण के सम्बन्ध में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा आश्वस्त किया गया कि विभाग द्वारा शीघ्र सामाजिक अंकेक्षण के विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए दिशा–निर्देश निर्गत कर अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(5) राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पके–पकाये भोजन की गुणवत्ता जाँच के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई।

(6) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ हेतु भरे जाने वाले फार्म के सरलीकरण एवं एकल महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पहुँचाने हेतु पति के आधार को वैकल्पिक करने के संबंध में विचार किया गया।

(7) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यक्रम एवं लाभार्थियों को दिये जाने वाले किस्तों की राशि के सम्बन्ध में चर्चा की गई। चर्चा में यह तथ्य स्थापित हुई कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के आपसी समन्वय से ही लाभार्थियों को सभी किस्तों का भुगतान बिना रूकावट हो सकता है।

(8) आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जवाबदेही तय करने सम्बन्धी मार्गदर्शिका पर विभाग के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई एवं इसके अनुमोदन हेतु विचार करने का अनुरोध किया गया।

6) **दिनांक–14.09.2021** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के विषय पर विभिन्न संस्थाओं के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. एक ही परिवार और एक ही राशन कार्ड में नाम वाले लोग राशन कैसे प्राप्त करेंगे, चूंकि अलग–अलग राज्यों में खाद्यान्न सामग्री का दर अलग–अलग है। अतः यदि कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति झारखण्ड राज्य में राशन लेता है, या झारखण्ड राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में राशन लेता है तो खाद्यान्न की दर क्या होगी, ONORC हेतु आवश्यक दस्तावेज (आधार) नहीं रहने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीती, वृद्ध एकल व असहाय लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, तथाकथित भूख से मौत के विषयों पर चर्चा की गई।

2. चर्चा के क्रम में कुछ कार्य बिन्दु (Action point) पर भी चर्चा की गई, जो निम्न है:–

- पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर निहित्त Reserve Fund के उपयोग पर समीक्षा।
- सरकार द्वारा आपदा की राशि और अनाज के लिए वितरण से पहले कुछ जरूरी जानकारी हर स्तर पर इसका खर्च किस प्रकार से किया जा सकता है।
- पंचायत एवं गाँव स्तर पर मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्र से असहाय, लाचार एवं असक्षम लोगों को जोड़ा जाना।

3. Awarness building पर चर्चा की गई, जो निम्न है:–

- Awarness building के लिए प्रत्येक राशन दुकान के बाहर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के सम्बन्ध में जरूरी सूचना सम्बन्धी पोस्टर।
- बाजार या हाट में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सम्बन्धी जरूरी प्रचार–प्रसार।

4. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के सम्बन्ध में दिये गयें Advisory के आलोक में इसकी समीक्षा।

5. भूख से मौत की जाँच सम्बन्धी झारखण्ड सरकार द्वारा तैयार प्रोटोकॉल का Review एवं पुनः प्रोटोकॉल के अनुपालन पर जोर।

सुझावी बिन्दु :–

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृद्ध, असहाय एवं एकल परिवार के वैसे सदस्य जो राशन कार्ड होते हुए भी स्वयं खाना बना कर खाने की स्थिति में नहीं हैं अथवा जो बिल्कुल लाचार है, उनको भूख से बचाने हेतु राज्य सरकार को सुझावः–

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान एवं भोजन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी दी जा सकती है।
- शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी एवं नगरीय प्रशासन को असहाय एवं लाचार व्यक्तियों के भोजन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी दी जा सकती है।
- उपरोक्त दोनों परिस्थिति में चिन्हित असहाय एवं लाचार व्यक्तियों को मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्रों अथवा मुख्यमंत्री दाल–भात योजना जैसी scheme के साथ जोड़ा जा सकता है।

2. जिन क्षेत्रों से तथा–कथित भूख से मौत सम्बन्धी अधिक मामले आए हैं, उन क्षेत्रों/जिलों के सूचकांक/मापदण्ड (यथा–साक्षरता, पोषण मानक, स्वास्थ्य मानक एवं खाद्य सुरक्षा) सम्बन्धी व्यापक आकलन एवं उन पर लगातार कार्य।

3. केन्द्र सरकार से राज्य के वर्तमान जनसंख्या के अनुसार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत कार्डधारियों की संख्या बढ़ाने हेतु पुनः पत्र लिखने हेतु राज्य सरकार को सुझाव।

4. तथा–कथित भूख से मृत्यु के मामलों में सुझाव आया कि वर्ष में कम से कम दो बार माह अप्रैल एवं सितम्बर में राशन एवं पेंशन योजनाओं का विस्तृत एवं गहन समीक्षा की जाय।

अध्ययन संबंधी :–

1. मुख्यमंत्री राहत पैकेट योजना के प्रभाव पर एक अध्ययन पर भी चर्चा हुई, जिसके आधार पर राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिए गए।

2. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के सम्बन्ध में लाभुकों से बात कर एक छोटा अध्ययन किया जा सकता है कि उनका क्या अनुभव है।

3. एक छोटा अध्ययन जनवितरण प्रणाली वितरक के Perception पर भी किया जा सकता है कि उनके (जनवितरण प्रणाली वितरक के) विचार से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के सम्बन्ध में उनका क्या view है।

7) दिनांक–20.09.2021 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग की 17वीं बैठक

आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर अध्ययन/मूल्यांकन कराने हेतु आयोग कार्यालय के साथ सूचिबद्ध Consultants से कार्य नहीं कराए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में बाह्य एजेंसी से कार्य नहीं कराया जाएगा। आवश्यकता होने पर ही अध्ययन/मूल्यांकन हेतु consultants/ बाहरी एजेंसियों की सेवा ली जाएगी।

विधि कोषांग गठन करने संबंधित आयोग की 16वीं बैठक के निर्णय को संशोधित कर NFSA-2013 की धारा–(20) (2) के अन्तर्गत की जाने वाली अग्रेत्तर कार्रवाई आयोग के साथ सूचिबद्ध अधिवक्ताओं के माध्यम से किये जाने एवं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी तथा समय–समय पर समीक्षा माननीय सदस्य श्री हलधर महतो द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयोग के वेबसाईट/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य तकनीकि संसाधन के कार्यों के क्रियान्वयन माननीय वरीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव की देख–रेख में की जाने का निर्णय लिया गया।

8) **दिनांक–28.10.2021** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में ''एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'' के विषय पर विभिन्न संस्थाओं के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ द्वितीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित विषयों पर निर्णय लिये गये।

(1) एक ही राशन कार्ड में नाम वाले परिवार के दो या उससे अधिक सदस्य अलग–अलग जगह से लोग राशन कैसे लेंगे? इस सम्बन्ध में सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं आपातकालीन आकस्मिक फण्ड से सम्बन्धित Circular/आदेशों की प्रति विभाग से मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) पंचायत स्तर से जिला स्तर तक सरकार द्वारा भूखमरी से बचाव हेतु रिजर्व फण्ड/आकस्मिक फण्ड उपलब्ध कराया गया है। उक्त फण्ड में क्या प्रावधान है, जानने की आवश्यकता है। साथ ही रिजर्व फण्ड की राशि का उपयोग करते समय निम्न जानकारी साथ–साथ इकट्ठा करने का सुझाव दिया गया :–

i. लाभुक का नाम।

ii. राशन कार्ड है अथवा नहीं। यदि राशन कार्ड नहीं है, तो उनका राशन कार्ड बनाने की दिशा में किये जाने वाले कार्य।

iii. पिछले दो माह का राशन का उठाव हुआ है अथवा नहीं।

iv. यदि कोई पेंशनधारी हैं, तो उनका विवरण इत्यादि।

(4) अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि प्रेस के माध्यम से यह शिकायत प्राप्त होती है कि पिछले 6 माह से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कूकिंग कॉस्ट नहीं दिया जा रहा है। इस हेतु बैठक में उपस्थित

सभी संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे इस प्रकार के मामले से आयोग को अवगत कराएँ, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

(5) श्री हलधर महतो, सदस्य द्वारा बताया गया कि आयोग के माननीय सदस्यों द्वारा गढ़वा एवं पलामू जिले के भ्रमण के दौरान यह बात सामने आई कि माह मई, 2021 तक की THR का वितरण किया गया है। इसके आलोक में सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(6) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड बिना आधार के संभव नहीं है। यदि परिवार में 6 सदस्य हैं, उनमें से 3 सदस्य किसी और जिले में एवं 3 सदस्य किसी और जिले में निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लाभुकों द्वारा कैसे राशन का उठाव किया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में सुझाव आया कि पश्चिम बंगाल में प्रत्येक व्यक्ति को कार्ड उपलब्ध कराया गया है। अतः वहाँ परिवार के सदस्य अगर अलग जगह में भी रह रहें हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इस संबंध में सरकार से पत्राचार किये जाने का निर्णय लिया गया कि क्या झारखण्ड में ऐसा किया जा सकता है?

(7) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभाव पर अध्ययन हेतु चर्चा की गई, जिसके आधार पर राज्य सरकार को सुझाव दिया जा सके।

(1) यह निर्णय लिया गया कि 3 से 4 खराब जिलों को चिन्हित कर एवं साक्षरता/पोषण मानक/स्वास्थ्य मानक/खाद्य सुरक्षा सम्बन्धित व्यापक आकलन एवं इस पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य करने की आवश्यकता है।

(8) भूख से मौत के मामले में आकलन किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे परिवार जो खाना बना कर खाने की स्थिति में नहीं है अथवा जिन्हें भोजन की उपलब्धता नहीं है। उनके लिए अलग व्यवस्था करने एवं इस पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इस हेतु आदिम जनजाति के क्षेत्रों सहित राज्य में सबसे खराब जिलों का अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया।

(9) श्री रमेश शरण, पूर्व कुलपति द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों को मजबूत करने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा तीन निम्न कार्यक्रमों पर अध्ययन कराया जा सकता है–

i. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से सम्बन्धित अध्ययन।

ii. गरीब, असहाय अथवा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा 10.00 लाख रू0 का आवंटन जिला स्तर एवं पंचायत स्तर पर 10000.00 रू0 उपलब्ध किया जाता है। इस राशि के उपयोग पर अध्ययन।

iii. राज्य के खराब सूचकांक वाले जिलों का अध्ययन, खासकर जिन जिलों/क्षेत्रों में तथा कथित भूख से मौत सम्बन्धी मामले आये हैं। उन क्षेत्रों/जिलों में दुबारा भूख से मौत सम्बन्धी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस सम्बन्ध में व्यापक आकलन एवं किए जाने वाले प्रभावी कार्य।

(10) श्री प्रेम शंकर, प्रदान द्वारा बताया गया कि लातेहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है।

प्रखण्डवार व्यक्तियों के नाम/सदस्यों की संख्या/परिवार की स्थिति पर अध्ययन कराते हुए उनके लिए कार्य करने की आवश्यकता है।

(11) यह निर्णय लिया गया कि Step by Step अध्ययन कराई जाय Study एवं Publicity के लिए बजट बनाने का निर्णय लिया गया। अध्ययन से सम्बन्धित एक Format बनाते हुए, अध्ययन की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

9) **दिनांक–12.11.2021** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में कुपोषण पर आयोग की कार्य योजना से संबंधित बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से निम्न निर्णय लिए गये:–

(1) राज्य के पाँच सबसे अधिक कुपोषण प्रभावित जिलों को चिन्हित कर उन जिलों में सरकार द्वारा क्या विशेष कार्य किया जा रहा है अथवा इसके अतिरिक्त और क्या कार्य किया जा सकता है। इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है।

(2) बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के कुपोषण उपचार केन्द्रों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार कुपोषण केन्द्रों में भर्ती कुल कुपोषित बच्चों में से 3 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता बताई गई।

राज्य में कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक छः माह में review किया जाय की किस योजना को और कितना प्रभावित तरीके से लागू किया जा सकता है एवं किस नीधि का उपयोग किस कार्य योजना में किया जाना है, ताकि इससे संबंधित सुझाव राज्य सरकार को दिया जा सके।

(3) निर्णय लिया गया कि उड़ीसा एव छत्तीसगढ़ राज्यों में कुपोषण से निपटने हेतु लागू कार्य योजना से संबंधित दस्तावेज/circular की प्रति मंगाई जाय। साथ ही उक्त राज्यों के राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के साथ बैठक हेतु उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया ताकि आयोग द्वारा उन राज्यों में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं इनकी स्थिति पर चर्चा किया जा सके।

10) **दिनांक–12.11.2021** को राज्य खाद्य आयोग में इन्टर्नशिप करने से संबंधित इच्छुक अभ्यार्थियों के लिए विषय एवं शर्तो के निर्धारण करने हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इच्छुक अभ्यार्थियों के लिए विषय निर्धारित किये गये तथा इस हेतु आवश्यक शर्तो एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया।

11) **दिनांक–17.12.2021** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्य एवं सदस्य सचिव एवं अवर सचिव उपस्थित थे। बैठक का मुख्य बिन्दु आयोग के द्वारा जारी किया गया व्हाट्सऐप नं0–9142622194 पर प्राप्त होने वाले शिकायतों की कार्रवाई एवं निष्पादन पर सुझाव, कार्यालय हेतु उपस्कर एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु क्रय सह निविदा का गठन एवं आयोग के सदस्यों के बीच कार्यों की जवाबदेही, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के प्रचार संबंधित समाजिक संस्था का उपयोग आयोग के कार्यों में एवं शिकायत निवारण पदाधिकारी को राशन के संबंध में आकस्मिक नीधि से खाद्यान्न देने के संबंध में निदेश देने संबंधित निर्णय लिए गए।

12) **दिनांक–14.02.2022** को राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्रचार–प्रसार के विषय पर एक आंतरिक बैठक

आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं की सूचना हितधारकों तक पहुँचाने हेतु TVC (Audio/Video Message) बनवाने का निर्णय लिया गया, जिसका उपयोग समय–समय पर भविष्य में किया जाएगा। इस कार्य हेतु सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय के साथ सूचिबद्ध संस्थानों के साथ कार्य करने पर सहमति बनी। निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय से पत्राचार कर सूचिबद्ध संस्थानों एवं इस कार्य हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

13) **दिनांक–07.03.2022** को आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं की सूचना हितधारकों तक पहुँचाने हेतु TVC बनाए जाने एवं हैंड बिल (Brochure) का मुद्रण कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही टॉल फ्री सेवा स्थापित करने के संबंध में भी विचार किया गया।

14) **दिनांक–11.03.2022** को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली, मीड डे मील, आँगनबाड़ी एवं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से संबंधित TVC बनवाने से संबंधित सामग्री अनुमोदित किया गया। राज्य खाद्य आयोग के वेबसाईट www.jharkhandsfc.in के Renewal /Maintenance का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 के संबंध में कम्प्यूटर एड द्वारा समर्पित प्रस्ताव स्वीकार्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

15) **दिनांक–15.03.2022** को TVC बनवाने के विषय पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित 4 योजनाओं यथा जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं एक राष्ट्र एक राशनकार्ड का अनुमोदित TVC विषय सामग्री के आलोक में कार्यादेश निर्गत करने पर सहमती दी गई। साथ ही TVC बनवाने हेतु प्राप्त कोटेशन में L1 पाये गये संस्थान को इन चार योजनाओं पर अलग–अलग TVC बनवाने हेतु कार्यादेश निर्गत करने का निदेश कार्यालय को दिया गया।

16) **दिनांक–16.03.2022** को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 4 योजनाओं यथा जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं एक राष्ट्र एक राशनकार्ड पर बनाये जाने वाले TVC को हिन्दी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रिय भाषाओं में भी अनुवाद कराये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। सभी सदस्यों द्वारा वर्तमान में क्षेत्रिय भाषा में TVC का अनुवाद कराने का सुझाव दिया गया। विचार–विमर्षोपरान्त तत्काल इसका अनुवाद नागपूरी भाषा मे कराने का निर्णय लिया गया। TVC के सफलता के फलाफल को देखते हुए बाद में अन्य क्षेत्रिय भाषा में भी अनुवाद कराये जाने पर निर्णय लिये जाने की सहमती बनी।

17) **दिनांक–22.03.2022** को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं से सभी 8 तैयार किये गये TVC का प्रदर्शन किया गया। सभी सदस्यों द्वारा TVC की गुणवत्ता को देखते हुए इसे क्षेत्रिय न्यूज चैनलों पर प्रसारित कराने के योग्य बताया गया। निर्णय लिया गया कि TVC का प्रसारण News 18 बिहार–झारखण्ड, Zee बिहार–झारखण्ड एवं News 11 (वर्तमान में News 11 भारत) पर प्रचार–प्रसार कराई जाय।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें।



दिनांक–25.08.2021 को अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के साथ बैठक





खनिज फाउन्डेशन के निदेशक एवं उपायुक्त के साथ बैठक



दिनांक–14.09.2021 को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के संबंध में बैठक।



प्रथम बैठक दिनांक – 14.09.2021



द्वितीय बैठक दिनांक–28.10.2021

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के प्रचार–प्रसार हेतु प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक।

2.2 क्षेत्र भ्रमण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–1 की धारा–16 (6) के अनुसार अधिनियम के कार्यान्वयन की जाँच पड़ताल करना एवं उसका मूल्यांकन करना, राज्य खाद्य आयोग का दायित्व है। इस निमित्त झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों के अनुश्रवण, शिकायतों की जाँच हेतु भ्रमण एवं बैठक का आयोजन किया गया।

1. **दिनांक–20.07.2021** को आयोग के सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उरांव, श्री हलधर महतो एवं डॉ0 रंजना कुमारी द्वारा सिमडेगा जिला के सदर प्रखण्ड के बीरू पंचायत एवं खूँटी टोली के आंगनबाड़ी के विद्यालय एंव जनवितरण प्रणाली केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

साथ ही बीरू पंचायत भवन में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, सिमडेगा एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, JSLPS से संबंधित पदाधिकारी, जनवितरण प्रणाली विक्रेता स्वयं सहायता समूह की महिला आँगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बैठक की गई।

THR, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन (Cooking cost) से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। उन्हें निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन समर्पित करें।

- जनवितरण प्रणाली के विक्रता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी अयोग्य राशन कार्डधारियों को चिन्हित कर सूची आयोग को उपलब्ध कराया जाय।
- विशिष्ट जनजाति (कोरवा और बिरहोर) को राशन घर तक पहुँचाने की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई एवं विशिष्ट जनजातियों की संख्या के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन देने को कहा गया।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को संबंधित शिकायत के निपटारा का प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया।
- MTC (Malnutrition treatment center) का Occupancy rate बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा भत्ता THR, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, की कठिनाईयों के संबंध में बैठक की गई। बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई।

भ्रमण के पश्चात् उपायुक्त, सिमडेगा (श्री सुशांत गौरव) से जिला में आ रहे समस्याओं पर चर्चा की गई। निरीक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई एवं उन्हें सुझाव दिया गया कि THR की कमी को शीघ्र दूर करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं की क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम।

2. **दिनांक–30.08.2021–01.09.2021** को माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उरांव के द्वारा साहेबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित 10 पंचायतों का निरीक्षण किया गया एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को खाद्यान्न की सुविधा मिलने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

- बाढ़ के समय प्रशासन के द्वारा सूखा राशन चुड़ा–गुड़ का लगातार वितरण किया जाता रहा। साथ ही प्रति परिवार सहायता के तौर पर 10–25 कि0ग्रा0 चावल एवं 1–2 कि0ग्रा0 अरहर एवं चना का दाल उपलब्ध कराया जा रहा था।
- बाढ़ के कारण जनवितरण प्रणाली के दुकानों को ऊँची जगह पर स्थानांतरित कर लाभांवितों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। जिला का यह प्रयास प्रशंसनीय था।
- आँगनबाड़ी केन्द्र को भी कोविड के दौरान 3–6 वर्ष के बच्चे को पोषाहार का राशन दिया जा रहा था। पर कुकिंग कॉस्ट नहीं दिया जा रहा था। JSLPS के द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता, मात्रा के संबंध में काफी शिकायत प्राप्त हुई। विद्यालय में भी सुखा राशन वितरित किया जा रहा था। पर कुकिंग कॉस्ट नहीं दिया जा रहा था।

यह निदेश दिया गया कि पोषाहार आवंटन, कुकिंग कॉस्ट, JSLPS एवं THR के संबंध में जिला उपायुक्त विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँगे।

3. **दिनांक–21.10.2021** झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो के द्वारा पलामू जिला के कैम्प कार्यालय (Circuit House) में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं मुखिया प्रतिनिधि, ग्रा0–करकट्टा, पो0–जोगा की उपस्थिति में श्री शंकर दास रवि के संबंध में सुनवाई की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण मुआवजा भत्ता के रूप में 450 कि0ग्रा0 चावल शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध कराया जाय। एवं डीलर के द्वारा फर्जी व्यक्तियों से संबंधित राशन की राशि को सरकारी खजाने में जमा किया जाय।

मध्याह्न भोजन आँगनबाड़ी केन्द्रों में मिलने वाला पूरक पोषाहार एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित जानकारी एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, खाद्य सुरक्षा भत्ता, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, डोर स्टेप डिलेवरी संबंधित विशेष जानकारी दी गई।

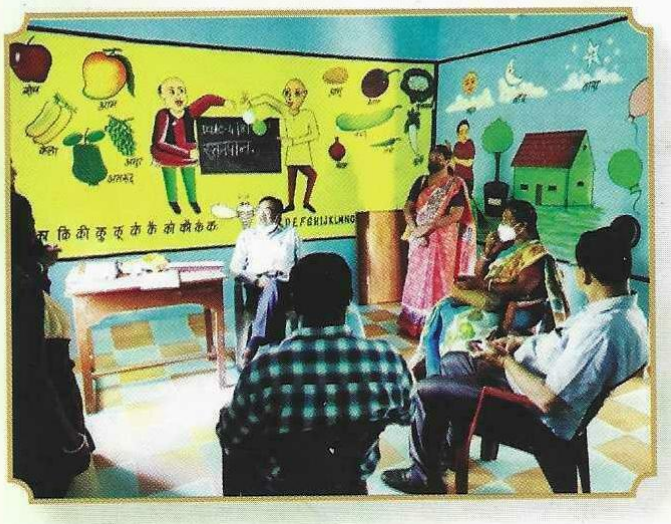
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के संबंध में THR न मिलना या कम आपूर्ति किये जाने के संबंध में भी विशेष ध्यान देने के संबंध में कहा गया।

4. **दिनांक– 22.10.2021** को सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो के द्वारा गढ़वा जिला के Circuit House में श्री सोनू सिंह, सामाजिक कार्यकर्त्ता, ग्राम–सहिजना रोड, जिला–गढ़वा एवं लिगल केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर, मेराल गढ़वा के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, CO, Civil Surgeon, सहायक गोदाम प्रबंधक की उपस्थिति में यह आदेश दिया गया डीलर द्वारा प्रखण्डवार/डीलरवार चना आवंटन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। गोदाम का निरिक्षण किया गया एवं उपलब्ध चना की गुणवत्ता को जाँचा गया।

शिकायतकर्त्ता के द्वारा आसंतुष्टि व्यक्त की गई। आयोग के आने के जानकारी के कारण स्थल की सफाई

कर दी गई एवं खराब चना हटा दिया गया है। आयोग के द्वारा लिखित शिकायत द्वारा अपील करने के संबंध में जानकारी दी गई।

लीगल केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर, मेराल गढ़वा के द्वारा बताया गया कि 43 राशन कार्डधारियों को राशन नहीं प्राप्त हुआ एवं PVTG को घर पहुँचाकर राशन नहीं दिया जाता है। आयोग के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से आयोग को यथाशीघ्र अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा पूरक पोषाहार के संबंध में आयोग को जो प्रतिवेदन दिया गया वह असंतोषजनक है। Hot Cook Meal एवं THR बंद रहने के कारण जिला में गर्भवती महिलायें, धातृ माताएँ एवं बच्चों के पोषण के नुकसान के भरपाई करने हेतु आयोग ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा। गढ़वा जिला के स्थानीय प्रेस से बैठक करते हुए खाद्य आयोग की सदस्यों ने आयोग के विभिन्न आयाम (आँगनबाड़ी केन्द्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन, जनवितरण प्रणाली केन्द्र) के संबंध में शिकायत, अपील, खाद्य सुरक्षा भत्ता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।





आयोग के माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव द्वारा साहेबगंज जिला भ्रमण

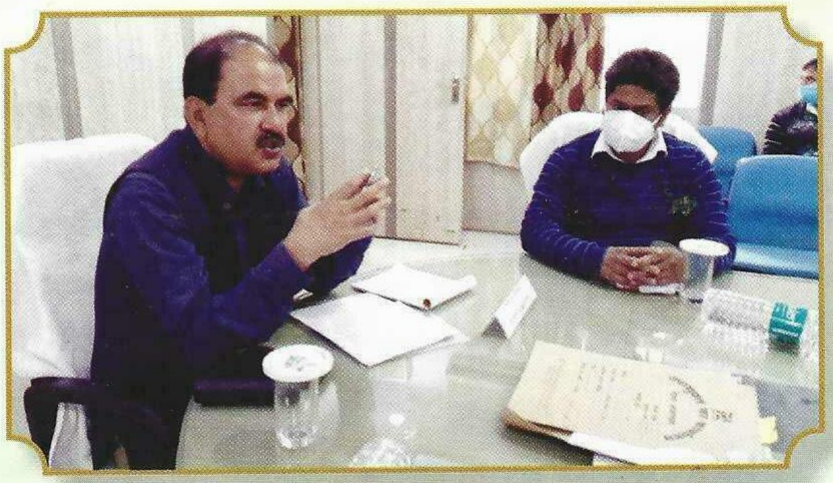




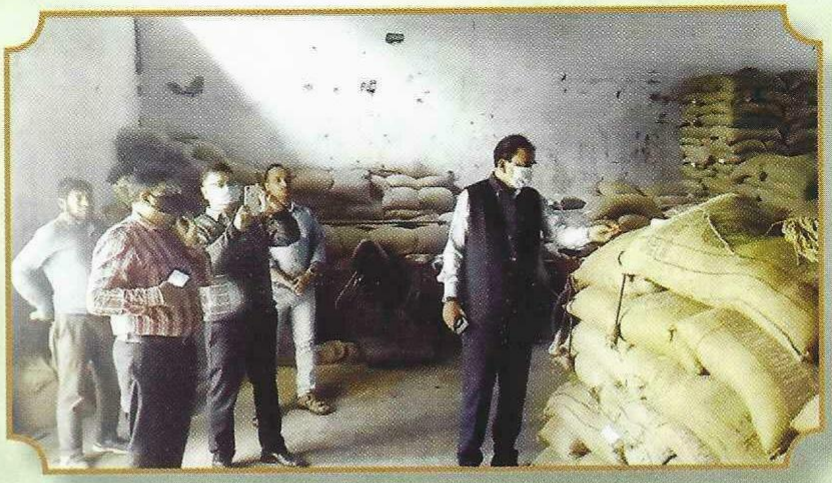
आयोग के माननीय सदस्यगणों का सिमडेगा भ्रमण



सिमडेगा भ्रमण के दौरान उपायुक्त के साथ बैठक



आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा
देवघर जिले में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक



आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा साहिबगंज जिले में खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण।

2.3 प्रचार–प्रसार

(i) कार्यशाला

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–31 में खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची–3 विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के प्रयास किये जाने का उल्लेख है। अनुसूची–3 की कंडिका–(2)–(क) में मोटे अनाजों का उपानन के संबंध में भी उल्लेख है। इसे प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखण्ड एवं राज्य खाद्य आयोग का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक–26 मार्च 2021

स्थान–बिरसा कृषि विज्ञान संस्थान।

विषय– झारखण्ड में मोटे अनाज के उत्पादन संबर्द्धन एवं पौष्टिक महत्व पर एक दिवसीय जागरूकता।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के बारे में भी बताया गया।

कार्यक्रम में राज्य खाद्य आयोग से सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, डॉ0 रंजना कुमारी एवं श्री हलधर महतो सम्मिलित हुए। निदेशक, समेति, श्री सुभाष सिंह द्वारा स्वागत भाषण एवं न्यूट्रिशन मिशन द्वारा किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी दी गई। सदस्य डॉ0 रंजना कुमारी ने राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं मोटे अनाजों की Promotion में Nutrition Mission की भूमिका में उनसे अपेक्षा के संबंध में विचार रखे। श्री हलधर महतो ने झारखण्ड में व्याप्त कुपोषण एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में उसके प्रभाव के संबंध में बताया। आँगनबाड़ी केन्द्र एवं जनवितरण प्रणाली केन्द्र में मोटे अनाज का उपयोग एवं उसका MSP (Minimum Support Price) तय किये जाने के संबंध में भी कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई। Dr. Z.A. Haider, वरिष्ठ वैज्ञानिक Birsa Agriculture University द्वारा मोटे अनाज के तहत मडुआ, मक्का की खेती के नविनतम तकनिकों के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। विभिन्न प्रकार से मडुआ को खाद्य में शामिल किये जाने के संबंध में भी जानकारी दी गई। डॉ0 सी0एस0सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक B.A.U ने झारखण्ड में मोटे अनाज की खेती के संभावना पर एवं किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मोटे अनाजों की भूमिका की जानकारी दी। तकनीकि सत्र के प्रश्नोत्तर सत्र में किसानों ने अपनी बात रखी एवं वैज्ञानिक के साथ सीधा संवाद कर क्षेत्र में आने वाले परेशानियों पर जानकारी प्राप्त की। आयोग के सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव के द्वारा अध्यक्ष्य भाषण एवं Nutrition Mission के साथ आगे काम करने के संभावनाओं की कार्ययोजना के संबंध में चर्चा की गई।

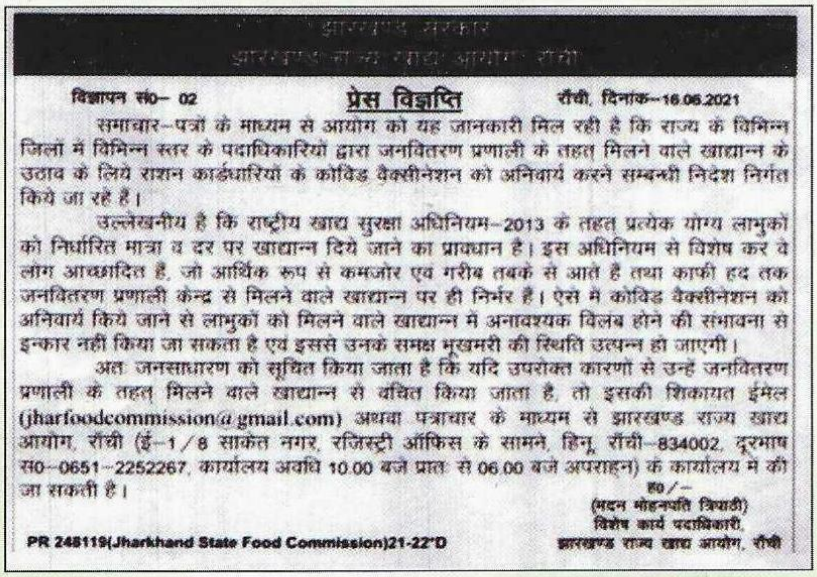




26 मार्च 2021–बिरसा कृषि विश्वविद्यालय

(i) प्रकाशन/विज्ञापन

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभ के संबंध में TVC (Television Communication) विज्ञापन प्रसारित की गयी, जिसमें लाभुकों को देय लाभ आदि का विवरण एवं लाभ नहीं मिलने की स्थिति में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज किये जाने की सुविधाओं का वर्णन किया गया है।
- आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं के संबंध में Brochure/ Pamplet का मुद्रण कराया गया, जिससे की आमजनों के बीच जागरूकता लायी जा सके।
- आयोग के द्वारा शिकायत प्राप्ति के लिए व्हाट्सएप नं0–9142622194 जारी किया गया।
- समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत लाभुकों के संचालित योजनाओं एवं मिलने वाले लाभ की जानकारी तथा उक्त लाभ न मिलने की स्थिति में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित सूचना/विज्ञापन प्रकाशित की गई जिससे लाभुकों के बीच जागरूकता आए।



झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

विज्ञापन सं0– 02 **प्रेस विज्ञप्ति** राँची, दिनांक–16.06.2021

समाचार–पत्रों के माध्यम से आयोग को यह जानकारी मिल रही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा जनवितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के उठाव के लिये राशन कार्डधारियों के कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने सम्बन्धी निदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत प्रत्येक योग्य लाभुकों को निर्धारित मात्रा व दर पर खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम से विशेष कर वे लोग आच्छादित हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब तबके से आते हैं तथा काफी हद तक जनवितरण प्रणाली केन्द्र से मिलने वाले खाद्यान्न पर ही निर्भर हैं। ऐसे में कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किये जाने से लाभुकों को मिलने वाले खाद्यान्न में अनावश्यक विलंब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है एवं इससे उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

अतः जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त कारणों से उन्हें जनवितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित किया जाता है, तो इसकी शिकायत ईमेल (jharfoodcommission@gmail.com) अथवा पत्राचार के माध्यम से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची (ई–1/8 साकेत नगर, रजिस्ट्री ऑफिस के सामने, हिनू, राँची–834002, दूरभाष सं0–0651–2252267, कार्यालय अवधि 10.00 बजे प्रातः से 06.00 बजे अपराह्न) के कार्यालय में की जा सकती है।

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

PR 248119(Jharkhand State Food Commission)21-22'D



झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

सूचना

विज्ञापन संख्या :– 12राँची, दिनांक :– 26.08.2020

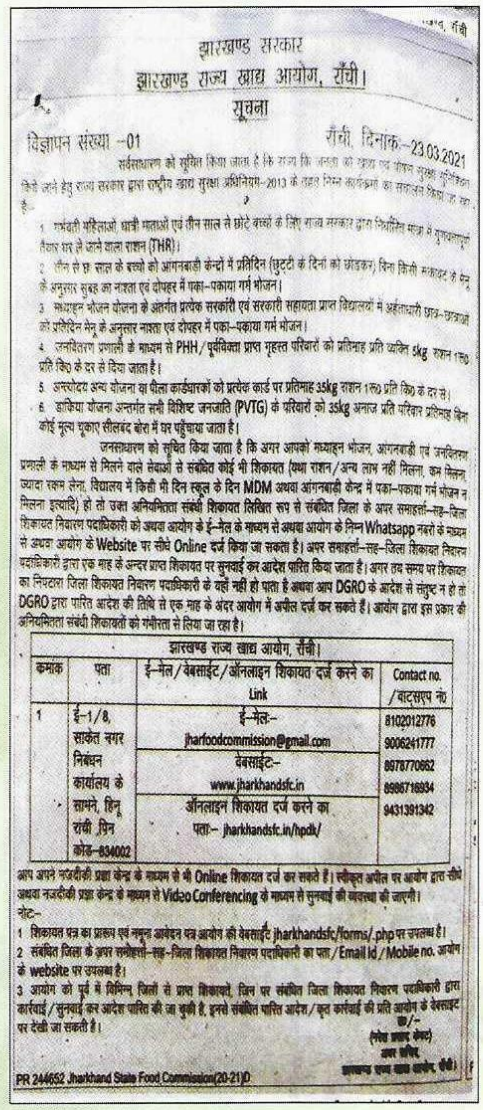
जन साधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड–19 के क्रम में लॉकडाउन की अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग को सीधे प्राप्त शिकायतों को नियमानुसार सम्बन्धित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों को सुनवाई एवं कानून सम्मत आदेश पारित करने एवं कार्रवाई हेतु आयोग से अनुशंसित किया गया है, जिनके द्वारा कृत कार्रवाई तथा पारित आदेश से सम्बन्धित सूचना आम जन की जानकारी एवं अवलोकन हेतु आयोग के वेबसाइट www.jharkhandsfc.in/jud_dgro1.php पर जिलावार अपलोड किया जा रहा है।

यदि शिकायतकर्ता पारित आदेश अथवा कृत कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो राज्य खाद्य आयोग में उचित प्रमाण के साथ विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं। राज्य खाद्य आयोग द्वारा स्वीकृत अपील की सुनवाई अपीलकर्ता के सबसे नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई कर सम्बन्धित शिकायत / अपील का न्यायसंगत निपटारा किया जायेगा।

1	अपील दायर करने का पता	राज्य खाद्य आयोग, ई–1/8 साकेत नगर, (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
2	ऑनलाइन अपील दायर करने का पता	www.jharkhandsfc.in
3	ईमेल से अपील दायर करने का पता	jharfoodcommission@gmail.com

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

PR 232142(Jharkhand State Food Commission)20-21'D



झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सूचना

विज्ञापन संख्या –01 राँची, दिनांक:–23.03.2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य कि जनता को खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है:–

1. गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं तीन साल से छोटे बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में पुनर्गठनयुक्त तैयार घर ले जाने वाला राशन (THR)।
2. तीन से छः साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन (छुट्टी के दिनों को छोड़कर) बिना किसी मध्यांतर के मेनू के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर में पका–पकाया गर्म भोजन।
3. मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अर्हताधारी छात्र–छात्राओं को प्रतिदिन मेनू के अनुसार नाश्ता एवं दोपहर में पका–पकाया गर्म भोजन।
4. जनवितरण प्रणाली के माध्यम से PHH/पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्त परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5kg राशन 1रू० प्रति किo के दर से दिया जाता है।
5. अन्त्योदय अन्य योजना या पीला कार्डधारकों को प्रत्येक कार्ड पर प्रतिमाह 35kg राशन 1रू० प्रति किo के दर से।
6. डाकिया योजना अन्तर्गत सभी विशिष्ट जनजाति (PVTG) के परिवारों को 35kg अनाज प्रति परिवार प्रतिमाह बिना कोई मूल्य चुकाए सीलबंद बोरा में घर पहुँचाया जाता है।

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर आपको मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी एवं जनवितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले सेवाओं से संबंधित कोई भी शिकायत (यथा राशन/अन्य लाभ नहीं मिलना, कम मिलना, ज्यादा रकम लेना, विद्यालय में किसी भी दिन स्कूल के दिन MDM अथवा आंगनबाड़ी केन्द्र में पका–पकाया गर्म भोजन न मिलना इत्यादि) हो तो उक्त अनियमितता संबंधी शिकायत लिखित रूप से संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को अथवा आयोग के ई–मेल के माध्यम से अथवा आयोग के निम्न Whatsapp नंबरों के माध्यम से अथवा आयोग के Website पर सीधे Online दर्ज किया जा सकता है। अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के अथवा आयोग के ई–मेल के माध्यम से अथवा आयोग के निम्न Whatsapp नंबरों के माध्यम से Website पर सीधे Online दर्ज किया जा सकता है। अपर तथ समय पर शिकायत का निपटारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ नहीं हो पाता है अथवा आप DGRO के आदेश से संतुष्ट न हो तो DGRO द्वारा पारित आदेश की तिथि से एक माह के अंदर आयोग में अपील दर्ज कर सकते हैं। आयोग द्वारा इस प्रकार की अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

क्रमांक	पता	ई–मेल/वेबसाईट/ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का Link	Contact no. /वाट्सएप नं०
1	ई–1/8, साकेत नगर निबंधन कार्यालय के सामने, डिनू राँची पिन कोड–834002	ई–मेल– jharfoodcommission@gmail.com	8102012776 9006241777
		वेबसाईट– www.jharkhandsfc.in	8978770662 8986716934
		ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पता– jharkhandsfc.in/hpdk/	9431391342

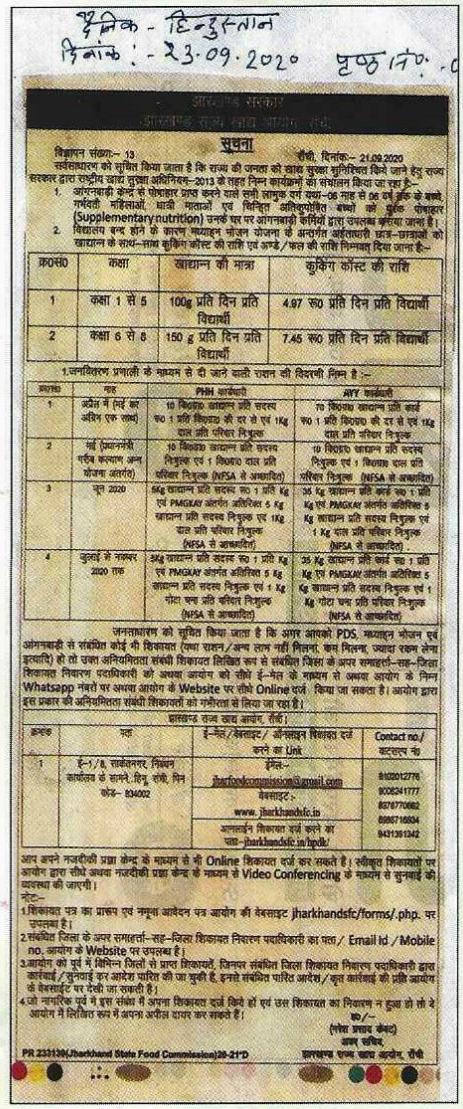
आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से भी Online शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्वीकृत अपील पर आयोग द्वारा सीधे अथवा नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।

नोट–

1 शिकायत पत्र का प्रारूप एवं नमूना आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट jharkhandsfc/forms/.php पर उपलब्ध है।
2 संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का पता/Email Id /Mobile no. आयोग के website पर उपलब्ध है।
3 आयोग को पूर्व में विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतों, जिन पर संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई/सुनवाई कर आदेश पारित की जा चुकी है, इनसे संबंधित पारित आदेश/कृत कार्रवाई की प्रति आयोग के वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

हस्ता०/–
(नेहा प्रकाश केरकेट्टा)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

PR 2446S2 Jharkhand State Food Commission(20-21)D



दैनिक - हिन्दुस्तान
दिनांक :- 23.09.2020 पृष्ठ सं० -0

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

सूचना

विज्ञापन संख्या:– 13 राँची, दिनांक:– 21.09.2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य की जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है:–

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों से पोषाहार प्राप्त करने वाले सभी लाभुक वर्ग यथा–06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार (Supplementary nutrition) उनके घर पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।
2. विद्यालय बन्द होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत अर्हताधारी छात्र–छात्राओं को खाद्यान्न के साथ–साथ कुकिंग कॉस्ट की राशि एवं अण्डे/फल की राशि निम्नवत् दिया जाना है:–

क्रमांक	कक्षा	खाद्यान्न की मात्रा	कुकिंग कॉस्ट की राशि
1	कक्षा 1 से 5	100g प्रति दिन प्रति विद्यार्थी	4.97 रू० प्रति दिन प्रति विद्यार्थी
2	कक्षा 6 से 8	150 g प्रति दिन प्रति विद्यार्थी	7.45 रू० प्रति दिन प्रति विद्यार्थी

1.जनवितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली राशन की विवरणी निम्न है :–

क्रमांक	माह	PHH कार्डधारी	AAY कार्डधारी
1	अप्रैल में (मई का अग्रिम एक माह)	10 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति किलोग्रा० की दर से एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क	70 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति किलोग्रा० की दर से एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क
2	मई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत)	10 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 किलोग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	10 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 किलोग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)
3	जून 2020	5Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	35 Kg खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)
4	जुलाई से नवम्बर 2020 तक	5Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg गोटा चना प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	35 Kg खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg गोटा चना प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर आपको PDS, मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी शिकायत (यथा राशन/अन्य लाभ नहीं मिलना, कम मिलना, ज्यादा रकम लेना इत्यादि) हो तो उक्त अनियमितता संबंधी शिकायत लिखित रूप से संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को अथवा आयोग को सीधे ई–मेल के माध्यम से अथवा आयोग के निम्न Whatsapp नंबरों पर अथवा आयोग के Website पर सीधे Online दर्ज किया जा सकता है। आयोग द्वारा इस प्रकार की अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

क्रमांक	पता	ई–मेल/वेबसाईट/ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का Link	Contact no./ वाट्सएप नं०
1	ई–1/8, साकेतनगर, निबंधन कार्यालय के सामने, डिनू, राँची, पिन कोड– 834002	ई–मेल:– jharfoodcommission@gmail.com	8102012776 9006241777
		वेबसाईट:– www. jharkhandsfc.in	8978770662 8986716934
		आनलाईन शिकायत दर्ज करने का पता:–jharkhandsfc.in/hpdk/	9431391342

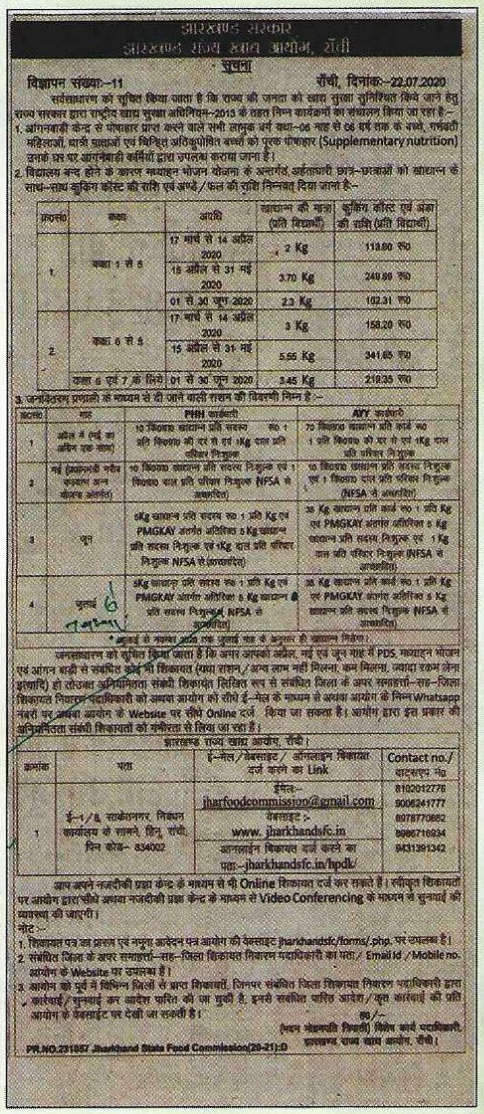
आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से भी Online शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्वीकृत शिकायतों पर आयोग द्वारा सीधे अथवा नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।

नोट–

1.शिकायत पत्र का प्रारूप एवं नमूना आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट jharkhandsfc/forms/.php. पर उपलब्ध है।
2.संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का पता/ Email Id / Mobile no. आयोग के Website पर उपलब्ध है।
3.आयोग को पूर्व में विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतें, जिनपर संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई/सुनवाई कर आदेश पारित की जा चुकी है, इनसे संबंधित पारित आदेश/कृत कार्रवाई की प्रति आयोग के वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
4.जो नागरिक पूर्व में इस संबंध में अपना शिकायत दर्ज किये हों एवं उस शिकायत का निपटारा न हुआ हो तो वे आयोग में लिखित रूप में अपना अपील दायर कर सकते हैं।

हस्ता०/–
(नेहा प्रकाश केरकेट्टा)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

PR 233139(Jharkhand State Food Commission)20-21'D



झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सूचना

विज्ञापन संख्या:–11 राँची, दिनांक:–22.07.2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य की जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है:–

1. आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार प्राप्त करने वाले सभी लाभुक वर्ग यथा–06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार (Supplementary nutrition) उनके घर पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।
2. विद्यालय बन्द होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत अर्हताधारी छात्र–छात्राओं को खाद्यान्न के साथ–साथ कुकिंग कॉस्ट की राशि एवं अण्डे/फल की राशि निम्नवत् दिया जाना है:–

क्रमांक	कक्षा	आवधि	खाद्यान्न की मात्रा (प्रति विद्यार्थी)	कुकिंग कॉस्ट एवं अंडा की राशि (प्रति विद्यार्थी)
1.	कक्षा 1 से 5	17 मार्च से 14 अप्रैल 2020	2 Kg	113.60 रू०
		15 अप्रैल से 31 मई 2020	3.70 Kg	249.86 रू०
		01 से 30 जून 2020	2.3 Kg	102.31 रू०
2.	कक्षा 6 से 8	17 मार्च से 14 अप्रैल 2020	3 Kg	158.20 रू०
		15 अप्रैल से 31 मई 2020	5.55 Kg	341.65 रू०
	कक्षा 6 एवं 7,8 मिनी	01 से 30 जून 2020	3.45 Kg	219.35 रू०

3. जनवितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली राशन की विवरणी निम्न है :–

क्रमांक	माह	PHH कार्डधारी	AAY कार्डधारी
1	अप्रैल में (मई का अग्रिम एक माह)	10 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति किलोग्रा० की दर से एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क	70 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति किलोग्रा० की दर से एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क
2	मई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत)	10 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 किलोग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	10 किलोग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 किलोग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)
3	जून	5Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	35 Kg खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)
4	जुलाई से नवम्बर 2020 तक	5Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg गोटा चना प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	35 Kg खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)

* अगस्त से नवम्बर 2020 तक जुलाई माह के अनुसार ही खाद्यान्न मिलेगा।

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर आपको अप्रैल, मई एवं जून माह में PDS, मध्याह्न भोजन एवं आंगन बाड़ी से संबंधित कोई भी शिकायत (यथा राशन/अन्य लाभ नहीं मिलना, कम मिलना, ज्यादा रकम लेना इत्यादि) हो तो उक्त अनियमितता संबंधी शिकायत लिखित रूप से संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को अथवा आयोग को सीधे ई–मेल के माध्यम से अथवा आयोग के निम्न Whatsapp नंबरों पर अथवा आयोग के Website पर सीधे Online दर्ज किया जा सकता है। आयोग द्वारा इस प्रकार की अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

क्रमांक	पता	ई–मेल/वेबसाईट/ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का Link	Contact no./ वाट्सएप नं०
1	ई–1/8, साकेतनगर, निबंधन कार्यालय के सामने, डिनू, राँची, पिन कोड– 834002	ई–मेल– jharfoodcommission@gmail.com	8102012776 9006241777
		वेबसाईट :– www. jharkhandsfc.in	8978770662 8986716934
		आनलाईन शिकायत दर्ज करने का पता:–jharkhandsfc.in/hpdk/	9431391342

आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से भी Online शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्वीकृत शिकायतों पर आयोग द्वारा सीधे अथवा नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।

नोट :–

1. शिकायत पत्र का प्रारूप एवं नमूना आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट jharkhandsfc/forms/.php. पर उपलब्ध है।
2. संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का पता/ Email Id /Mobile no. आयोग के Website पर उपलब्ध है।
3. आयोग को पूर्व में विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतें, जिनपर संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई/सुनवाई कर आदेश पारित की जा चुकी है, इनसे संबंधित पारित आदेश/कृत कार्रवाई की प्रति आयोग के वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

हस्ता०/–
(नेहा प्रकाश केरकेट्टा)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

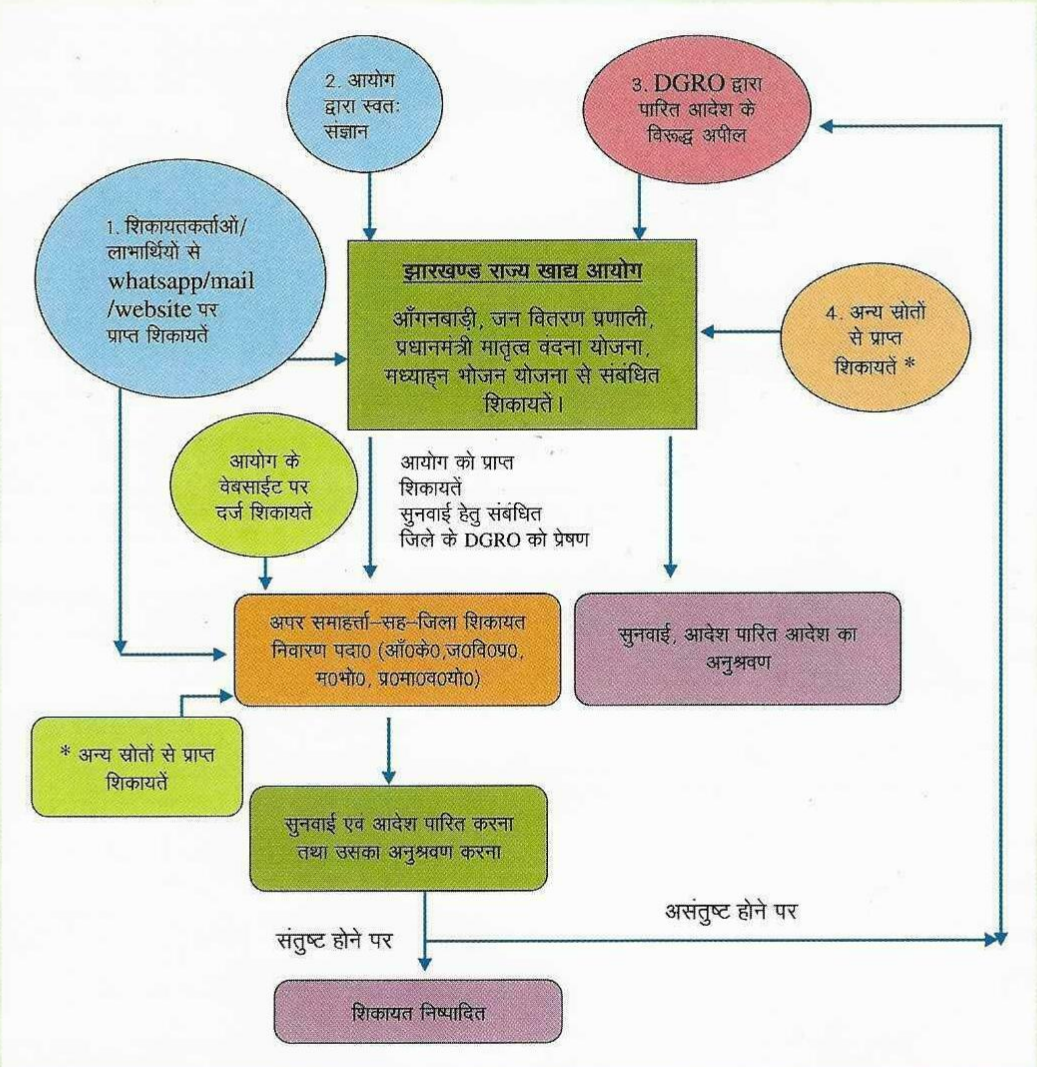
PR.NO.231057 Jharkhand State Food Commission(20-21)-D

अध्याय–3

खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा

3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 अन्तर्गत शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की अध्याय 7 की धारा 14,15 एवं 16 में शिकायत निवारण प्रक्रिया विस्तृत रूप से अंकित है। जिसमें राज्य सरकार के द्वारा एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं आयोग के संबंध में स्पष्ट रूप में अंकित है।



Note:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र, जनवितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायतों का निपटारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य आयोग के द्वारा किया जाता है। जिला स्तर से असंतुष्ट शिकायतकर्त्ताओं के अपील की सुनवाई, सीधे शिकायतों की सुनवाई एवं स्वतः संज्ञान के माध्यम से सुनवाई एवं निष्पादन करना आयोग का दायित्व है।

- शिकायत वेबसाईट www.jharkhandsfc.in, Mail- jharfoodcommission@gmail.com, Whatsapp No.-9142622194 के माध्यम में भी किया जा सकता है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त शिकायतें एवं उनका निपटारा

District wise whatsapp complaints report as on 31.03.2022						
S.No	District	Complaint recevied	Complaint resolved	Resolved%	Pending	District Wise Complaint Received On Mail During Lockdown
1	2	3	4	5	6	7
1	Deoghar	21	21	100.00	0	8
2	Dumka	2	2	100.00	0	13
3	Gumla	1	1	100.00	0	1
4	Khunti	2	2	100.00	0	1
5	Latehar	5	5	100.00	0	4
6	Lohardaga	5	5	100.00	0	2
7	Sahibganj	2	2	100.00	0	15
8	Simdega	2	2	100.00	0	2
9	Saraikela-Kharswan	6	5	83.33	1	8
10	Pakur	5	4	80.00	1	10
11	Jamtara	7	5	71.43	2	6
12	Ranchi	20	13	65.00	7	103
13	Giridih	34	20	58.82	14	18
14	Godda	12	6	50.00	6	43
15	Koderma	2	1	50.00	1	4
16	West Singhbhum	8	4	50.00	4	7
17	Bokaro	19	7	36.84	12	11
18	Hazaribagh	16	4	25.00	12	6
19	Ramgarh	9	2	22.22	7	9
20	East Singhbhum	14	3	21.43	11	12
21	Chatra	10	2	20.00	8	4
22	Palamu	23	4	17.39	19	28
23	Garhwa	20	3	15.00	17	-
24	Dhanbad	18	2	11.11	16	8
	TOTAL	263	125	47.53	138	323

नोट :– झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के प्रयास से लाभार्थी NFSA-2013 कानून के प्रति अधिक से अधिक जागरूक बने एवं आयोग के द्वारा अधिक से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इस उद्देश्य से शिकायत प्राप्त करने के कई श्रोतों पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में व्हाट्सएप नं0–9142622194 एवं ईमेल– jharfoodcommission@gmail.com के द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं उसके समाधान का विवरण उक्त तालिका में अंकित है।

3.2 वाद/अपीलवाद

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियों में उसे जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, एवं वे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का निवारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है।

प्रतिवेदित अवधि में आयोग द्वारा किये गये सुनवाई से संबंधित संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	वाद संख्या	विवरणी
		वर्ष–2020
1	05/2020	• वादी प्रतिवादी–नरेश बेदिया VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़। • क्षेत्र–रामगढ़। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा कम राशन देना, अभद्र व्यवहार करना, अंगूठा लगाकर राशन देने से मना कर देने सम्बन्धी शिकायत (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–07.09.2020 • सुनवाई की तिथियाँ– 20.09.2020, 13.10.2020, 27.10.2020, 06.11.2020 एवं 25.11.2020 • पारित आदेश– शिकायतकर्ता को लंबित खाद्यान्न की राशि जनवितरण प्रणाली वितरक से वसूली किये जाने तथा उक्त राशि व अनाज शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार।
2	06/2020	• वादी प्रतिवादी–श्री रामलाल बैठा व अन्य ग्राम–गुरदी, प्रखण्ड–छत्तरपुर, पलामू VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू/अंचल अधिकारी, छत्तरपुर/प्रखण्ड विकास पदा0, छत्तरपुर/जनवितरण प्रणाली वितरक, माँ भवानी SHG • क्षेत्र–रामगढ़। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा राशन नहीं दिये जाने सम्बन्धी शिकायत (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–08.09.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–25.09.2020, 07.10.2020, 20.10.2020 एवं 05.11.2020 • पारित आदेश–शिकायतकर्ताओं को बकाया राशन मिल जाने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–117 परिवार

3	07/2020	• वादी प्रतिवादी–राजीव महापात्रा एवं अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम। • क्षेत्र–पूर्वी सिंहभूम। • केस का प्रकार–राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी आवेदन पर कार्रवाई नहीं किये जाने सम्बन्धी शिकायत (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–12.10.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–20.10.2020 • पारित आदेश–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को आदेशित किया गया कि नाम जोड़ने या अन्य प्रकार की शिकायतों का ससमय निपटारा सुनिश्चित किया जाय। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–04 परिवार
4	08/2020	• वादी प्रतिवादी–अनोखी देवी VS प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बिरनी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह। • क्षेत्र–गिरिडीह। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा कम अनाज देने एवं इसका विरोध करने पर राशन कार्ड रदद् करने की धमकी दिये जाने सम्बन्धी शिकायत (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–08.10.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–27.10.2020, 06.11.2020, 25.11.2020 एवं 08.12.2020 • पारित आदेश–दिनांक–08.12.2020 को मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के विरूद्ध राशि वसूली सम्बन्धी प्रखण्ड आपूर्ति पदा0, बिरनी के आदेश को निरस्त करने, शेष खाद्यान्न कुल–14.3 क्विंटल चावल शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने एवं जनवितरण प्रणाली वितरक के विरूद्ध PDS Control order 2019 के तहत् कार्रवाई एवं राशि वसूली करने का आदेश दिया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार
5	09/2020	• वादी प्रतिवादी–दिलिप कु0 वर्मा व अन्य VS जनवितरण प्रणाली वितरक, काली किशोर साव/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बिरनी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह। • क्षेत्र–गिरिडीह। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा कम राशन दिये जाने सम्बन्धी शिकायत (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–13.10.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–27.10.2020, 06.11.2020 एवं 25.11.2020 • पारित आदेश–27.10.2020 को आदेश दिया दिया गया कि लाभुकों को PDS Control order 2019 की धारा–28 (5) के तहत् क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाय साथ ही आयोग के समक्ष फर्जी व्यक्ति एवं भुगतान रसीद प्रस्तुत करने के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिये जाने का आदेश पारित किया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–25 परिवार

6	10/2020	• वादी प्रतिवादी–श्री शंकर करमाली व अन्य VS जनवितरण प्रणाली वितरक, प्रेमचन्द महतो/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोला/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़। • क्षेत्र–रामगढ़। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा राशन नहीं दिये जाने सम्बन्धी मामले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के विरूद्ध अपील (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–13.10.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–27.10.2020, 06.11.2020, 30.12.2020, 06.01.2021, 28.01.2021 एवं 24.02.2021 • पारित आदेश–दिनांक–24.02.2021 को मामले में आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने तथा जनवितरण प्रणाली वितरक से असंतुष्ट कार्डधारियों को अन्य जनवितरण प्रणाली वितरक से संबद्ध करने का आदेश दिया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–20 परिवार
7	11/2020	• वादी प्रतिवादी–श्री शिवचरण महतो एवं अन्य VS प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पेटरवार/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो। • क्षेत्र–बोकारो। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा कम राशन दिये जाने एवं अभद्र व्यवहार करने सम्बन्धी मामले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–19.10.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–27.10.2020, 08.12.2020 एवं 16.12.2020 • पारित आदेश–दिनांक–16.12.2020 को आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को PDS Control order 2019 के तहत् कार्रवाई का आदेश दिया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–46 परिवार।
8	13/2020	• वादी प्रतिवादी–बुद्धराम मिर्धा VS प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कांके/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची। • क्षेत्र–राँची। • केस का प्रकार– राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के सम्बन्ध में (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–09.11.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–01.12.2020 एवं 15.12.2020 • पारित आदेश–शिकायतकर्ता के राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ दिये जाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार

9	16/2020	• वादी प्रतिवादी–श्री दिलिप मिश्रा VS विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची। • क्षेत्र–राँची। • केस का प्रकार–माह सितम्बर, 2020 से नवम्बर, 2020 तक का राशन नहीं दिया जाना (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–07.12.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–16.12.2020, 30.12.2020 एवं 05.01.2021 • पारित आदेश–शिकायतकर्ता श्री दिलिप मिश्रा को राशन के योग्य बताते हुए उन्हें राशन दिये जाने का अनुरोध किया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार
10	17/2020	• वादी प्रतिवादी–श्री जादो उरांव VS विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची। • क्षेत्र–राँची। • केस का प्रकार–राशन कार्ड में दर्ज इकाई में हेराफेरी कर राशन की कालाबाजारी किये जाने सम्बन्धी शिकायत (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–07.12.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–16.12.2020, 30.12.2020, 05.01.2021, 18.01.2021, 28.01.2021, 25.02.2021, 16.03.2021, 19.03.2021 एवं 08.06.2021 • पारित आदेश–उक्त मामले में दिनांक–08.06.2021 को आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें किन्हीं भी जनवितरण प्रणाली वितरक के स्तर से संलिप्ता नहीं पाये जाने एवं विभागीय चूक की संभावना होने का उल्लेख किया गया है। इस पर विभाग अपने स्तर से छानबीन कर कार्रवाई करें। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–
11	18/2020	• वादी प्रतिवादी–श्री फिरोज़ लकड़ा VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा। • क्षेत्र–गढ़वा। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा राशन नहीं दिया जाना एवं राशन की मात्रा में कटौती करना (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–09.12.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–22.12.2020, 05.01.2021, 28.01.2021 एवं 18.02.2021 • पारित आदेश–जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा कटौती किये गये अनाज की भरपाई करने/PDS Control order 2019 की धारा–28 (5) के तहत् जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा कटौती किये गये अनाज के बदले क्षतिपूर्ति राशि की वसूली कर लाभुकों को ससमय भुगतान करने का आदेश दिया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–17 परिवार

12	20/2020	• धारा–33 के तहत् कार्रवाई–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला। • केस का प्रकार–आंगनबाड़ी केन्द्र से सम्बन्धित। • क्षेत्र–गुमला। • वाद प्रांरभ की तिथि–30.12.2020 • सुनवाई की तिथियाँ–20.01.2021, 02.02.2021, 25.02.2021, 23.03.2021, 02.07.2021 एवं 18.08.2021 • पारित आदेश–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला द्वारा ज्ञापांक–1021 दिनांक–07.07.2020 के आदेशानुसार पोषाहार/राशि का वितरण किया जा चुका है। अतः वाद की कार्रवाई कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–6 माह से 6 वर्ष के बच्चे–414, धात्री माताएँ–58 एवं गर्भवती महिलाएँ–31
वर्ष–2021		
13	01/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री निर्मल महतो VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसांवा। • क्षेत्र– सरायकेला–खरसांवा। • केस का प्रकार–संपन्न व्यक्तियों द्वारा जनवितरण प्रणाली का लाभ लिये जाने सम्बन्धी शिकायत (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–21.01.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–18.02.2021 एवं 09.03.2021 • पारित आदेश–PDS Control order 2019 की कंडिका–7 के तहत् कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया। जिसके आलोक में 60 अयोग्य कार्डधारियों का राशन कार्ड रदद् कर दिया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–60 परिवार
14	02/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री कमलेश राम, श्रीमती सरिता मेहता व अन्य (कुल–15) VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जनवितरण प्रणाली वितरक, जागृति महिला समूह पलामू। • क्षेत्र– पलामू। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा राशन नहीं दिया जाना, राशन की मात्रा में कटौती एवं अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.03.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–19.03.2021 एवं 06.04.2021 • पारित आदेश–प्रखण्ड आपूर्ति पदा0, उँटारीरोड को निदेश दिया गया कि जाँचोपरान्त अपीलकर्ताओं को अनाज उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिसकी संपूर्ण हो जाने के उपरान्त दिनांक–06.04.2021 को कार्रवाई समाप्त की गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–15 परिवार

15	03/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री भुवनेश्वर कोरवा व अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा। • क्षेत्र– गढ़वा। • केस का प्रकार–विशिष्ट जनजाति परिवारों के राशन कार्ड बनाने के सम्बन्ध में (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.03.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–23.03.2021 एवं 06.04.2021 • पारित आदेश–दिनांक–06.04.2021 को पारित आदेश में आयोग द्वारा निदेश दिया गया कि शेष आवेदनकर्ताओं का राशन कार्ड निर्गत करते हुए सभी को PVTG योजनान्तर्गत राशन की डिलिवरी सुनिश्चित की जाय। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–35 परिवार
16	05/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री लक्ष्मण भुइयाँ VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार। • क्षेत्र– लातेहार। • केस का प्रकार–राशन कार्ड रदद् कर दिये जाने एवं नये राशन कार्ड सम्बन्धी आवेदन पर कार्रवाई नहीं किये जाने के सम्बन्ध में (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–19.03.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–06.04.2021 • पारित आदेश–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा शिकायतकर्ता को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये जाने के फलस्वरूप मामला निष्पादित कर दिया गया। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार
17	06/2021	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती राजकुमारी देवी व अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मेराल, गढ़वा। • क्षेत्र– गढ़वा • केस का प्रकार–जीवित लाभुकों को मृत बताकर उनका राशन कार्ड रदद् कर दिये जाने एवं राशन कार्ड में नाम हटा दिये जाने के सम्बन्ध में (जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित)। • वाद प्रांरभ की तिथि–26.07.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–17.08.2021 • पारित आदेश–अपीलकर्ताओं का राशन कार्ड बना दिये जाने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–10 परिवार

18	06(A)/ 2021	• वादी प्रतिवादी–श्री सव्वीर शेख, ग्रा0–इंगलिश, पो0–फुदकी, पं0–द0 सरफराजगंज, थाना–राधानगर, जिला–साहिबगंज • क्षेत्र– साहिबगंज। • केस का प्रकार– MDM • वाद प्रांरभ की तिथि–05.10.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–27.10.2021 • पारित आदेश– लाभान्वितों को मध्याह्न भोजन भत्ता के रूप में राशि उनके खाते में भेज दिये जाने तथा चावल उपलब्ध करा दिये जाने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–02 परिवार
19	07/2021	• वादी प्रतिवादी–नागरिक सहायता केन्द्र, जरिडीह, बोकारो VS जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो। • क्षेत्र– बोकारो। • केस का प्रकार–आंगनबाड़ी से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–18.03.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–06.04.2021, 08.07.2021 एवं 18.08.2021 • पारित आदेश–सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–47 लाभुक परिवार
20	09/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री सतीश कुमार मेहता VS जनवितरण प्रणाली वितरक, श्री अनुज कुमार पासवान/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू। • क्षेत्र– पलामू। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–17.06.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–02.07.2021, 27.07.2021 एवं 18.08.2021 • पारित आदेश–अपीलकर्त्ता को राशन उपलब्ध करा दिये जाने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार
21	10/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री शंकर दास रवि VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू/जागृति SHG अनुज्ञप्ति सं0–01/2011 • क्षेत्र– पलामू। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–24.06.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–13.07.2021, 27.07.2021, 18.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021 • पारित आदेश– जिला प्रशासन (जिला आपूर्ति पदाधिकारी) द्वारा भ्रमण कैम्प कार्यालय में सुनवाई के क्रम में स्पष्ट किया गया कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन आयोग में समर्पित करने के उपरान्त वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार

22	11/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री अनील मेहता VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू/जागृति SHG अनुज्ञप्ति सं0–01/2011 • क्षेत्र– पलामू। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–08.07.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–27.07.2021, 18.08.2021 एवं 07.09.2021 • पारित आदेश–शिकायतकर्त्ता को राशन उपलब्ध करा दिया गया जिसका सत्यापन स्वयं शिकायतकर्त्ता द्वारा किये जाने के उपरान्त वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार
23	12/2021	• वादी प्रतिवादी–श्री बद्री प्रसाद साह VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट, जनवितरण प्रणाली वितरक। • क्षेत्र– गोड्डा। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–27.07.2021 • सुनवाई की तिथियाँ– 18.08.2021, 22.09.2021, 27.09.2021, 27.10.2021 एवं 22.11.2021 • पारित आदेश– दिनांक– 03.01.2022 को अंतिम आदेश पारित की गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01 परिवार
24	14/2021	• वादी प्रतिवादी–लीगल केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर, मेराल, गढ़वा VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा। • क्षेत्र– गढ़वा। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–27.09.2021 • सुनवाई की तिथियाँ–26.10.2021 एवं 25.11.2021 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–07
25	15/2021	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती नैना कुमारी मुण्डा VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची। • क्षेत्र– राँची। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–28.12.2021 • सुनवाई की तिथियाँ– 18.01.2022 एवं 01.02.2022 • पारित आदेश– शिकायतकर्ता का राशन कार्ड निर्गत कर दिये जाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01

वर्ष–2022		
26	01/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती सीता देवी सर्राफ VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची/ श्री बच्चू साव, जनवितरण प्रणाली वितरक, अनु0 सं0–38/2017, वार्ड–37, राँची। • क्षेत्र– राँची। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–28.01.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–08.01.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
27	02/2022	• वादी प्रतिवादी–श्री फूलचंद महतो एवं अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ/जनवितरण प्रणाली विक्रेता। • क्षेत्र– गिरिडीह। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि– 11.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ– 08.02.2022,23.02.2022,28.03.2022 • पारित आदेश–सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
28	03/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती प्रमिला देवी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पेटरवार/जनवितरण प्रणाली वितरक वैष्णवी महिला समिति। • क्षेत्र– बोकारो। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–31.01.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–03.03.2022, 28.03.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या– 01
29	04/2022	• वादी प्रतिवादी–श्री प्रसेनजीत सेन VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर/श्री महेश साहू, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, अनु0 सं0–224(H)2019। • क्षेत्र– जमशेदपुर। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–31.01.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–28.02.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01

30	05/2022	• वादी प्रतिवादी–स्वतः संज्ञान VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातु। • क्षेत्र– पलामू। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–31.01.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–17.02.2022 एवं 02.03.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
31	06/2022	• वादी प्रतिवादी–श्री जीतन मराण्डी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह। • क्षेत्र– गढ़वा। • केस का प्रकार–आंगनबाड़ी केन्द्र से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–31.01.2022 • सुनवाई की तिथियाँ– 17.02.2022, 28.02.2022 • पारित आदेश– शिकायत का समाधान हो जाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
32	07/2022	• वादी प्रतिवादी–शैलेश कुशवाहा, श्री रामलाल प्रजापति एवं अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दारू। • क्षेत्र– हजारीबाग। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–17.01.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–17.02.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या– –
33	08/2022	• वादी प्रतिवादी–श्री रामकृपाल सिंह, राँची VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राँची। • क्षेत्र– राँची। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–03.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–17.02.2022 • पारित आदेश–अपीलकर्त्ता के समस्या का समाधान हो जाने एवं उन्हें नियमित निर्धारित मात्रा में अनाज मिलने, जिसकी पुष्टि श्री रामकृपाल सिंह एवं पुष्पा तिर्की, पार्षद से करने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01

34	09/2022	• वादी प्रतिवादी– श्री मतीन अंसारी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताडा। • क्षेत्र– जामताड़ा। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–18.02.2022 • पारित आदेश– अपीलकर्त्ता का नाम राशन कार्ड में जोड़ने पश्चात् एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा से प्राप्त सूचना के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
35	10/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती सावित्री देवी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर। • क्षेत्र– देवघर। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित। • वाद प्रांरभ की तिथि– 02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–18.02.2022 • पारित आदेश– अपीलकर्त्ता का राशन कार्ड बन जाने की पुष्टि शिकायतकर्त्ता द्वारा व्हाट्सएप द्वारा किया गया जिसके फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
36	11/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती मालती टुडु VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा। • क्षेत्र– जामताड़ा। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–22.02.2022 एवं 09.03.2022 • पारित आदेश– उक्त वाद पर अंकित शिकायत शिकायतकर्त्ता द्वारा नहीं की गई। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
37	12/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती रीता देवी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा। • क्षेत्र– गोड्डा। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–18.02.2022 एवं 09.03.2022 • पारित आदेश– दिनांक–18.02.2022 को सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता को माह जुलाई 2021 से बकाया राशन उपलब्ध कराने का निर्देश DSO, गोड्डा को दिया गया। दिनांक–09.03.2022 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अनाज मिल जाने की पुष्टि किये जाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या– 01 परिवार।

38	13/2022	• वादी प्रतिवादी–शबनम स्वयं सहायता समूह VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा। • क्षेत्र– गोड्डा। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ– 18.02.2022, 09.03.2022, 29.03.2022 • पारित आदेश– वाद की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
39	14/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा। • क्षेत्र– गोड्डा। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ– 09.03.2022 • पारित आदेश– वाद की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
40	15/2022	• वादी प्रतिवादी–दीपनारायण साह VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा। • क्षेत्र– गोड्डा। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–04.03.2022 एवं 18.02.2022 • पारित आदेश– विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी के पत्रांक–54, दिनांक–28.01.2022 के द्वारा शिकायतकर्त्ता का कार्ड निर्गत हो जाने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
41	16/2022	• वादी प्रतिवादी–मतियस नाग VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी। • क्षेत्र– खूँटी। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि– 02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ– 18.02.2022 एवं 28.02.2022 • पारित आदेश– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा इस मामले के सुनवाई उपरांत पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। पारित आदेश में शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01

42	17/2022	• वादी प्रतिवादी–श्री प्रवीण कुमार पंडित VS जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा। • क्षेत्र– जामताड़ा। • केस का प्रकार– आंगनबाड़ी से संबंधित। • वाद प्रारंभ की तिथि–02.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–22.02.2022, 09.03.2022, 28.03.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
43	18/2022	• वादी प्रतिवादी–श्री उदय टुडु एवं श्री तुलसी राय VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह। • क्षेत्र– गिरिडीह। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रारंभ की तिथि–07.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–28.02.2022,28.03.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
44	19/2022	• वादी प्रतिवादी–श्री बमदेव पहाड़िया एवं अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा। • क्षेत्र– पाकुड़ • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रारंभ की तिथि–11.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–02.03.2022, 22.03.2022, • पारित आदेश–शिकायतकर्ताओं द्वारा दूरभाष पर स्पष्ट किया गया कि बकाया राशन प्राप्त हो गया है, जिसके उपरांत वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–10
45	20/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती रंजनी कुमारी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर। • क्षेत्र– देवघर। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रारंभ की तिथि–11.02.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–02.03.2022 • पारित आदेश– अपीलकर्त्ता का राशन कार्ड निर्गत कर देने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01

46	21/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती संगीता देवी एवं अन्य/श्री उपेन्द्र कुशवाहा एवं अन्य/श्रीमती संजु देवी एवं अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, उँटारी रोड, पलामू/जनवितरण प्रणाली वितरक, जागृति SHG, ज्योति SHG, गंगा मिलन SHG • क्षेत्र– पलामू। • केस का प्रकार– जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–04.03.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–08.04.2022 • पारित आदेश–सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–29
47	22/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती अर्पणा बाड़ा VS जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची। • क्षेत्र– राँची। • केस का प्रकार–ICDS से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–14.03.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–29.03.2022 • पारित आदेश– सुनवाई प्रक्रियाधीन है। (As on 31.03.2022) • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
48	23/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती शहनाज बानो VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची। • क्षेत्र– राँची। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–14.03.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–21.03.2022 को अपीलकर्त्ता से दूरभाष पर स्वीकारोक्ति के उपरान्त वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • पारित आदेश–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–387/आ0 दिनांक– 21.03.2022 के आलोक में एवं अपीलकर्त्ता से दूरभाष पर स्वीकारोक्ति के उपरान्त वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01
49	24/2022	• वादी प्रतिवादी–श्रीमती रीना देवी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह। • क्षेत्र– गिरिडीह। • केस का प्रकार–जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • वाद प्रांरभ की तिथि–14.03.2022 • सुनवाई की तिथियाँ–28.03.2022 • पारित आदेश– लाभुक का राशन कार्ड संबंधी आवेदन पर कार्रवाई हो जाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी। • लाभान्वित परिवारों की संख्या–01



अपीलकर्ता श्री शंकर दास रवि, ग्राम–करकट्टा, पो0–जोगा, थाना– ऊंटारी रोड, पलामू के मामले में सुनवाई करते हुए (दिनांक–21.10.2021)।



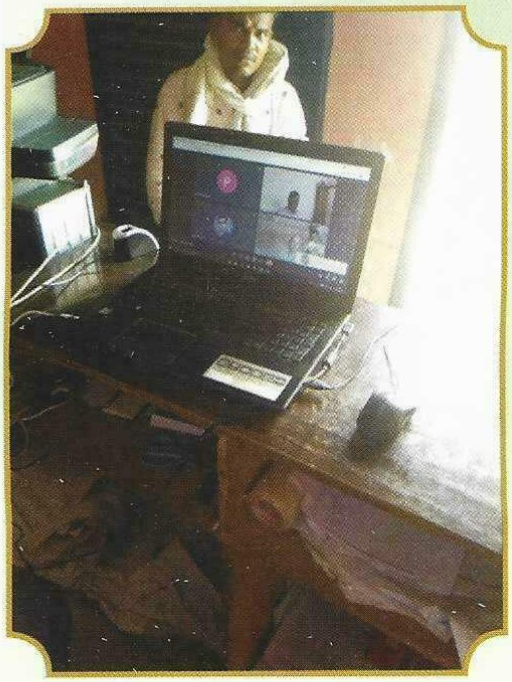
अपीलकर्ता श्री सोनु सिंह एवं लीगल केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर के मामले में सुनवाई करते हुए (दिनांक–22.10.2021)



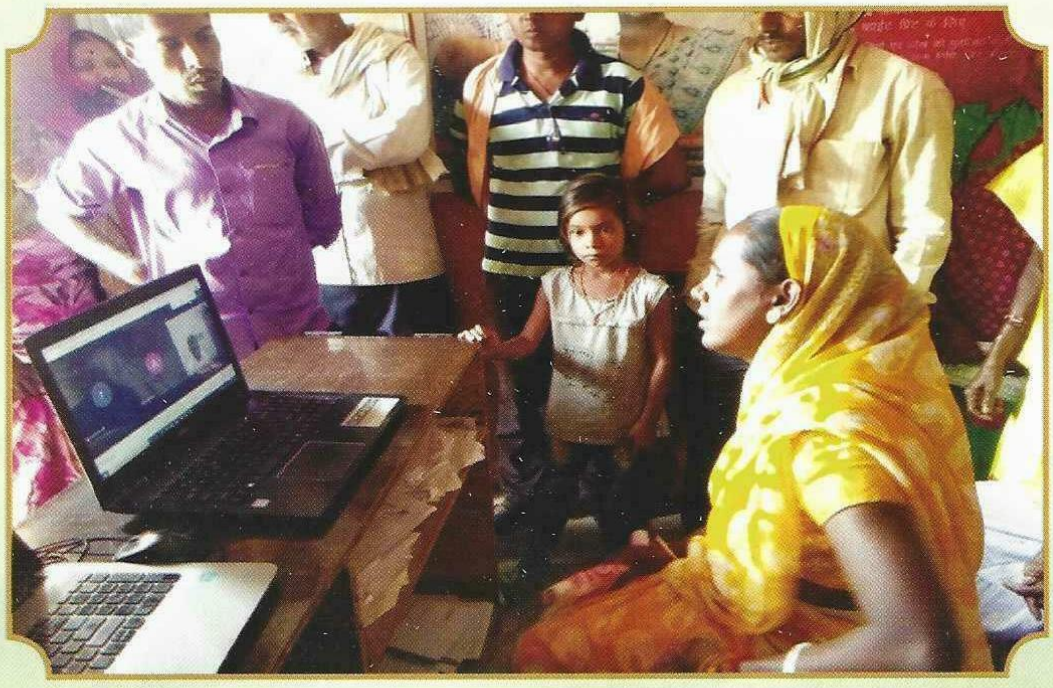


वाद से संबंधित सुनवाई





वाद सं–09/2021, अपीलकर्ता श्री सतीश कुमार मेहता, पलामू के मामले में प्रज्ञा केन्द्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई।



वाद सं0–02/2021, अपीलकर्ता श्री कमलेश राम एवं अन्य, उँटारी रोड, पलामू के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम (दिनांक–13.03.2021)

अध्याय–4

शोध अध्ययन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 (6) में राज्य खाद्य आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह दिये जाने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोग द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत अध्ययन कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों को सूचिबद्ध करते हुए राँची के वार्ड सं0–3,34,36 एवं 49 में संचालित योजनाओं के अध्ययन कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में सूचिबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में अध्ययन रिपोर्ट आयोग को समर्पित किया गया। अध्ययन के फलस्वरूप उभर कर आए मुख्य सुझाव निम्नवत् हैः–

(1) Researcher :- Shalini Saboo

Topic :- A pilot study on the "Implementation of scheme under the National Food Security Act (NFSA)-2013" at ward 49 and ward 34 of Ranchi district

Abstract :- This report is a pilot survey done with a focuses on four major scheme under the National Food Security Act-2013 i.e., PMMVY, PDS, MDM and ICDS in two wards of Ranchi district. Through the survey it tries to outline the major challenges and gaps in the implementation of these schemes. It not only brings forth the challenges but suggest possible solutions for its improvement through policy interventions.

Objectives of the study

1. To evaluate the functioning of the Public Distribution Systme (PDS), Mid-Day Meal (MDM) and the Anganwadis.
2. To take stock of the implementation of schemes under the National Food Security Act, 2013 and to identify the gaps.
3. To give constructive suggestions for better implementation of the schemes under the NFSA, 2013.

Policy Recommendations

- A system must be devised to receive the manual receipt of the beneficiaries which can be verified on phone through the authorities.
- Inspection must be done to see that atleast the most urgent requests for new ration cards are catered to with immediate effect.
- Ration dealers must be regularly made accountable to the local Vigilance Committee.

Recommendations

- MDM benefits a large number of people but it should be outsourced to a private organization that can bring readymade packets of cooked food to school. This will save the hassles of cooking at school.
- A separate venue for cooking and distribution of cooked meal should be idenfied in proximity to the school premises.
- The release of funds be ensured on a monthly basis.
- MDM can be re-designed on the lines of community kitchens or langar where a place can be identified and children to schools in a common locality can come and have the meal instead of individual schools cooking it separately.

Recommendations

- Separate buildings of Aanganwadi Centres be built.
- There should be uniforms for children comimg to Aanganwadi and they be provided with school bags.
- Toilets be constructed for children in the Aanganwadi and adequate arrangements be done for drinking water.
- The Vigilance Committee be prepare a health reprt of the malnourished children and women.
- Model Aanganwadi Centres be developed for replication.

(2) **शोधकर्ता :– दिवाकर पाण्डे**

शीर्षक :– ''झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के साथ सूचीबद्ध संस्थानों/व्यक्तियों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत् राँची के वार्ड संख्या–34 एवं 49 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं का अध्ययन''।

निष्कर्ष :– अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों एवं सूचनाओं से ज्ञात होता है कि ICDS एवं PDS कार्यक्रम सुविधा से जुड़े बच्चों किशोरियों गर्भवती व धात्री माताओं के साथ–साथ ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डधारक स्वास्थ्य एवं पोषण देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं तथा राशनकार्ड धारकों के स्वास्थ्य एवं पोषण आहार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सुझाव :–

1. इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

2. स्थानीय उपलब्ध खाद्य सामग्रियों में विद्यमान पोषक तत्व संबंधी जानकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि उसका लाभ जनता को मिल सके।

3. क्षेत्रों में प्रचलित नकारात्मक मान्याताओं को दूर करने हेतु नियमित प्रावधान होना चाहिए।

4. PDS दुकानदारों को सुचारू रूप से राशन वितरण करना चाहिए।

(3) **शोधकर्ता :– कुमार देवाशीष**

शीर्षक :– राँची के वार्ड–34 और 49 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन का केस स्टडी।

सुझाव :–

1. बच्चों को जलजनित बीमारी के बोझ की संभावना से बचाने के लिए स्कूल में पीने के उद्देश्य से पानी के फिल्टर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

2. स्थानीय जनवितरण प्रणाली डीलरों द्वारा सीधे स्कूलों को खाद्यान्न दिया जा सकता है। यह भी परिवहन प्रयास और लागत को कम कर सकता है।

3. हालांकि बायोमेट्रिक सिस्टम और ऑनलाइन ई–पॉस ने पारदर्शिता और ई–गवर्नेंस की व्यवस्था स्थापित की है। PDS सिस्टम में स्वतंत्र फीडबैक तंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ एक लाभार्थी गुमनामी में अपनी शिकायतों का जवाब दे सकता है। ऐसा फीडबैक तंत्र जो एक वर्ष में सभी लाभर्थियों को कवर करता है, FPS को अधिक जिम्मेदार बनाने में मददगार हो सकता है। इस अनाम प्रतिक्रिया का परिणाम भी आहार पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकता है और FPS की ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. कार्ड में ही टोल फ्री नंबर और जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि किसी भी समस्या के मामले में लाभार्थी संपर्क कर सकें।

5. जिला द्वारा उपलब्ध करायी गयी THR प्रत्येक माह समय पर उपलब्ध करायी जाये।

6. PMMVY के बारे में जागरूकता की कमी है और इसका समय पर नामांकन और समर्थन की उपलब्धि कैसे सुनिश्चित की जाय।

7. PMMVY की किस्तों के विलंबित भुगतान के अतिरिक्त मुद्दे हैं, जिन्हें प्रासंगिक PFMS के सत्यापन द्वारा ठीक किया जा सकता है।

राज्य खाद्य आयोग में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों एवं उनके द्वारा समर्पित रिपोर्ट की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है–

क्र0 सं0	छात्र का नाम	संस्थान का नाम	अध्ययन का विषय	मार्गदर्शक	मुख्य सुझावी बिन्दु
1	Pawan kumar & Prakrti Rani	Xavier Institute of Social Service (XISS) Ranchi	To Study the problems and challenges faced in mechanism of PDS at Ratu and Kanke block of Ranchi district	(Dr. Ranjana Kumari)	1. Rationalization/shop distance 2. Regular inspection 3. In AAY, quantity of food grains should be increased for the family having more than 4 members. 4. Regular campaign should be done to address issues of beneficiaries.
2	Kritika Bhumi singh	Xavier Institute of Social Service Department of Rural Management	Issues Faced by Mother and Children Under integrated child development scheme (ICDS) During covid-19	(Dr. Ranjana Kumari)	1. Awareness campaign about Aanganwadi scheme. 2. Aanganwadi workers should undergo a timely basis training course before they are appointed as incharge of ICDS Centre.
3	Firdaus Gauhar	XISS Intern at JSFC	Issues Faced by Mother and Child Under ICDS During covid-19	(Dr. Ranjana Kumari)	1. While infrastructure development and capacity building of the anganwadi remains the key to improving the programmer, the standards of all its services need to be upscaled.
4	Eisha Mandal	Summer Intern, XISS, Ranchi	Rural Management.	(Haldhar Mahto)	Timely ration delivery, proper distribution of cash price in the form of installments to the needy is important.
5	Riti Shalini Tiru	XISS, Ranchi	A Study on Status if schemes under Public Distribution System in Jharkhand	(Haldhar Mahto)	1. Public announcement for Tollfree helpline line and role of Grievance redressel bodies. 2. If the ration card gets cancelled then the applicant must be informed regarding it.

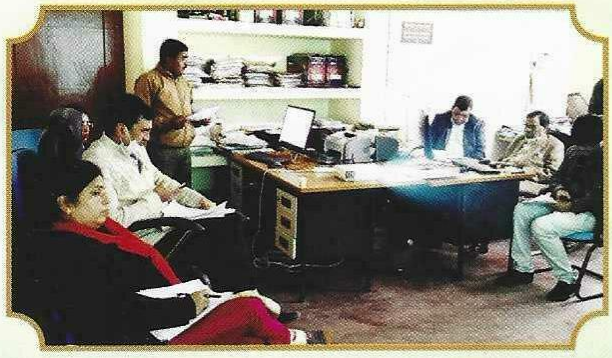
6	Shanya	Xavier Institute of Social Service, Ranchi, Jharkhand.	Best way of redressing grievances related to PDS during pandemic or any emergency situation	(Haldhar Mahto)	1. Unbiased inspection of Fair Price Shops by the State Department. Of Food & Civil Supply on a regular basis. 2. Representatives from State Food Commission should take out time to meet beneficiaries and listen to their grievances and provide solutions for the same at regular intervals. 3. The grievance redressel mechanism needs to be updated immediately.
7	Prakriti Rani	Rural Management Programme	A study on problems and challenges faced in the mechanism of Public Distribution System (PDS) at Ratu Block of Ranchi District		1. Solve the problem of Rationalization, we can set a parameter of inter-FPS shop distance. Some of the ration shops are at a very distance with eact other while some are at far distance. We can come up with the idea of limited ration shop according to the population with equal distance from each other. So, that beneficiary will not face any problem while taking their entitlements. 2. In order to minimize the loopholes, we can have regular inspection of the PDS shops on monthly basis. So that authority can have the regular update of the same. 3. To fulfil the priority of the beneficiary regarding food grain, we can change the ratio of rice and wheat from 3:2 to 4:1. 4. Proper monitoring of GPS system be done so as to ensure the food security and prevetion of unfair means if any. 5. Regular campaign should be organized to address the issues of the beneficiaries and awareness. (ex.- in panchayat meeting)

8	Rashmi Kotwar	Xavier Institute of Social Service, Ranchi	Status of Malnutrition Treatment Centre (MTC) in East Singhbhum District of Jharkhand		1. The recruitment of manpower in specific categories is in need in the MTC. 2. Computer facilities should be provided for easy and quick maintenance of records of children. Technical training related to this to the frontline workers. 3. Separate feeding room and visitors' room are required in MTC for proper guidance to feed children with easy demonstrations. 4. Need for a counciling team in every MTC which will incorporate educational interventions such as 3D posters, illustrative pictures, projectors with valuable videos showing a healthy child living a good life after being cured from SAM. etc
9	Lipika Baya and Ankit Francis	Xavier Institute of Social Service, Ranchi	Study on the implementation of the PDS during the COVID-19 lockdown. Kanke Block		1. Strict guide lines for door step delivery. 2. Complain form must framed. 3. 5kg packet must be prepared for no leakage. 4. Online feedback must be in the system. 5. Addition and deletion of member from Ration Card must make easy.

इंटर्नशिप करने वाले छात्रों द्वारा दिये गये मुख्य सुझावी बिन्दु :–

- कार्ड का Rationalization।
- खाद्यान्न को ले जाने वाले वाहन की proper tracking हो ।
- यदि राशनकार्ड रद्द हो जाता है तो आवेदक को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- सतर्कता समिति का गठन एवं इसका सशक्तिकरण हो।
- नियमित निरीक्षण।

- अंत्योदय अन्न योजना में 4 से अधिक सदस्यों वाले परिवार के लिए खाद्यान्न की मात्रा बढ़ानी चाहिए।
- हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित अभियान चलाए जाने चाहिए।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों का लोकेशन सुविधाजनक एवं पहुँच पर हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियमित बैठक हो।
- आंगनबाड़ी सेविकाओं का समय–समय पर प्रशिक्षण हो।
- बच्चों के माता–पिता और ICDS अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए समय–समय पर बैठक की व्यवस्था की जाए।
- आंगनबाड़ी योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को ICDS केंद्र के प्रभारी के रूप में नियुक्त करने से पहले समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना चाहिए।
- गाँवों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक FPS स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- MTC पर मानव संसाधन का क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर कम्प्यूटर एवं बच्चों से संबंधित सूचना एवं डीजिटलाइजेशन।
- पंचायत मुखिया एवं स्थानीय प्रतिनिधि को खाद्य सुरक्षा कानून–2013 एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण हो।
- Toll Free एवं Help line No.



Empanelled व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा presentation

अध्याय–5

नीति निर्धारण/सुझाव

5.1 महत्वपूर्ण पत्राचार एवं सुझाव

क्र0 सं0	पत्रांक/दिनांक	प्रेषित	विषय वस्तु
1	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 19/2019–401 दिनांक–01.07.2020	सभी उपायुक्त, झारखण्ड	रा0खा0सु0 अधिनियम–2013 के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं दंडात्मक प्रावधान के संबंध में।
2	पत्रांक–431 दिनांक–13.07.2020	The Secretary, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Mumbai, Maharashtra	Details of establishment of Director Rationing
3	पत्रांक–रा0खा0आ0 (कुपोषण) 447/2019– 510 दिनांक–21.07.2020	प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची। निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, रांची।	राज्य में अति कुपोषित बच्चों के कुपोषण से बचाव हेतु कृत कार्रवाई के संबध में।
4	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 131/2019–486 दिनांक–27.08.2020	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार	पोषण एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत झारखण्ड में अनुसंधान, अध्ययन एवं सर्वे कराने के संबंध में।
5	पत्रांक–रा0खा0आ0 (कुपोषण) 01/2018–448 दिनांक–07.09.2020	प्रधान सचिव/सचिव, सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची। महानिदेशक, पोषण मिशन, झारखण्ड, रांची। निदेशक प्रमुख, राजकोषीय अध्ययन संस्थान, झारखण्ड, रांची। निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड, रांची। निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, रांची। राज्य प्रभारी, (State Head) युनिसेफ कार्यक्रम, झारखण्ड, रांची।	राज्य में अति कुपोषित बच्चों के कुपोषण से बचाव हेतु कृत कार्रवाई।

6	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 18/2020–513 दिनांक–07.09.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	आहार पोर्टल में राशन कार्ड सरेंडर की प्रक्रिया को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के संबंध में।
7	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 05/2020–512 दिनांक–07.09.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	सुशुप्त राशन कार्डो एवं डुप्लीकेट राशन कार्डो की जांच करते हुए अपात्र राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड को रद्द करने के संबंध में।
8	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 170/2019–511 दिनांक–07.09.2020	प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची।	ICDS योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने के संबंध में।
9	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 168/2019–510 दिनांक–07.09.2020	प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची	राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के संबंध में।
10	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 21/2020–544 दिनांक–22.09.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	राशन कार्ड हेतु राज्य भर से प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।
11	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 21/2020–543 दिनांक–22.09.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	राशन कार्ड हेतु लंबित आवेदनों के निष्पादन के संबंध में।
12	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 05/2020–542 दिनांक–22.09.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में।
13	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 174/2019–551 दिनांक–23.09.2021	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची।	FSSAI द्वारा उपलब्ध कराये गये फूड टेस्ट वैन के संचालन के संबंध में।
14	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 171/2019–552 दिनांक–23.09.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	PDS योजना अन्तर्गत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने के संबंध में
15	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 16/2020–553 दिनांक–23.09.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची।	राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 (6) (ग) के तहत सुझाव के संबंध में।

16	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 169/2019–550 दिनांक–23.09.2020	प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंर्तगत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 599 दिनांक–30.09.2015 के अनुपालन के संबंध में।
17	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 101/2018–549 दिनांक–23.09.2020	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची।	राज्य के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पके–पकाये भोजन की गुणवत्ता जांच हेतु प्रत्येक जिलों में जांच केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में।
18	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 167/2019–547 दिनांक–23.09.2020	प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची	राज्य के विद्यालयों में दिये जाने वाले पके–पकाये भोजन की गुणवत्ता जांच कराने के संबंध में।
19	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 06/2020–571 दिनांक–28.09.2020	The Secretary, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Mumbai, Maharashtra.	Regarding the Details of Establishment of Director Rationing.
20	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 131/2019–607 दिनांक–01.10.2020	श्री राम मोहन मिश्रा, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	
21	पत्रांक–616 दिनांक–06.10.2020	श्री अरवा राजकमल, उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम	पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को सृदृढ़ीकरण करने के संबंध में।
22	पत्रांक–615 दिनांक–06.10.2020	श्री सूरज कुमार, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम।	पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को सृदृढ़ीकरण करने के संबंध में।
23	पत्रांक–614 दिनांक–06.10.2020	श्री शशि रंजन, उपायुक्त, खूंटी।	पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को सृदृढ़ीकरण करने के संबंध में।
24	पत्रांक–613 दिनांक–06.10.2020	श्री कुलदीप चौधरी, उपायुक्त, पाकुड़।	पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को सृदृढ़ीकरण करने के संबंध में।
25	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–612 दिनांक–06.10.2020	मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची।	Nutri-Cereals से संबंधित केन्द्र सरकार के Sub-Mission में झारखण्ड राज्य के जिलों को शामिल कराये जाने के संबंध में।
26	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–611 दिनांक–06.10.2020	विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची। सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची।	पोषण संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर करने के लिए राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाने के संबंध में।

27	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–610 दिनांक–06.10.2020	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखण्ड, कृषि भवन, काँके रोड, रांची।	राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में।
28	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–609 दिनांक–06.10.2020	सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची। निदेशक, कृषि निदेशालय, झारखण्ड, रांची।	दिनांक–08.07.2019 को विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में आयोजित BGREI की बैठक के अनुपालन के संबंध में।
29	पत्रांक–618 दिनांक–07.10.2020	श्री भोर सिंह यादव, उपायुक्त, गोड्डा।	पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में।
30	पत्रांक–रा0खा0आ0 (स्था0) 02/2018–636 दिनांक–13.10.2020	प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची। निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, रांची।	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों के आधार अद्यतीकरण के संबंध में।
31	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 52/2017–696 दिनांक–03.11.2020	प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–27 एवं 28 के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संबंध में।
32	पत्रांक–रा0खा0आ0 (कुपोषण) 01/2018–692 दिनांक–03.11.2020	निदेशक, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, झारखण्ड, रांची	राज्य में अति कुपोषित बच्चों के कुपोषण से बचाव हेतु कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।
33	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 165/2019–707 दिनांक–09.11.2020	Director, Bureau of India Standards, Jamshedpur. E-mail-jbdo@bis.gov.in	Regarding rankings districts and blocks of Jharkhand.
34	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 165/2019–706 दिनांक–09.11.2020	Shri Amitabh Kant (IAS Rtd.) CEO, NITI Ayog, New Delhi	Gentle reminder regarding rankings districts and blocks of Jharkhand.
35	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 19/2018–724 दिनांक–11.11.2020	सभी उपायुक्त, झारखण्ड	रा0खा0सु0 अधिनियम–2013 के अन्तर्गत अयोग्य लाभार्थियों की पहचान एवं दंडात्मक प्रावधान के संबंध में।

36	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 112/2018–730 दिनांक–12.11.2020	उपायुक्त, धनबाद/हजारीबाग/प0 सिंहभुम चतरा/गोड्डा/बोकारो/ रांची/पलामू/देवघर/रामगढ़	कुपोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु DMF निधि से 3 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किये जाने के संबंध में।
37	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 97/2018–727 दिनांक–12.11.2020	सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची। सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, रांची।	जनप्रतिनिधियों को विभागीय बैठकों/सुनवाई में भाग लेने पर मानदेय भुगतान करने संबंधी पत्र की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।
38	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 15/2020–733 दिनांक–23.11.2020 स्मार पत्रांक–165 दिनांक–02.03.2021 पत्रांक–635 दिनांक–13.09.2021	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, रांची	कुपोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु जिला खनन निधि के उपयोग के संबंध में।
39	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 112/2018–752 दिनांक–26.11.2020	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, रांची	कुपोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु District Mineral Foundation निधि से तीन वर्ष से छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू करने के संबंध में।
40	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 14/2020–750 दिनांक–26.11.2020	मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर	कुपोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु District Mineral Foundation Trust Fund का उपयोग किये जाने के संबंध में।
41	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 01/2020–795 दिनांक–09.12.2020	निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, रांची	दि0–28.10.2020 को PMMVY के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव देने संबंधी आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।
42	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 13/2020–780 दिनांक–09.12.2020	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड, रांची	आंगनबाड़ी सेविकाओं को कार्याधारित प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में।
43	पत्रांक–रा0खा0आ0 (स्था0) 12/2018–779 दिनांक–09.12.2020	Ms. Aastha Saxena Khatwan, Joint Secretary (PMMVY Section), A-Wing 6th Floor Ministry of Women and Child Development Shastri Bhawan, New Delhi-110001	Request for the Amendment in the PMMVY application form.
44	पत्रांक–रा0खा0आ0 (निगरानी) 08/2017–810 दिनांक–11.12.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	राज्य में सतर्कता समिति के पुनर्गठन हेतु सुझाव के संबंध में।

45	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 05/2020–826 दिनांक–14.12.2020	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	शिकायकर्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो जाने के संबंध में।
46	पत्रांक–16 दिनांक–07.01.2021	श्री अरूण कुमार सिंह (भा0प्र0से0) अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–40 के तहत् नियम बनाने के संबंध में।
47	पत्रांक–रा0खा0आ0 (भ्रमण) 01/2020–21 दिनांक–12.01.2021	Dr.Harneet Singh Grewal, Director, Women and Child Welfare Department, Govt. of India	Regarding implementation of Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna.
48	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–97 दिनांक–10.02.2021	सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची	राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में।
49	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–96 दिनांक–10.02.2021	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची।	मडुआ, ज्वार, बाजरा, रागी आदि अनाजों का जनवितरण प्रणाली केन्द्रों के माध्यम से पायलट बेसिस पर वितरण कराये जाने के संबंध में।
50	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–100 दिनांक–11.02.2021	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची।	राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में।
51	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 49/2018–101 दिनांक–11.02.2021	सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची।	Nutri-Cereals से संबंधित केन्द्र सरकार के Sub-Mission में झारखण्ड राज्य के जिलों को शामिल कराये जाने के संबंध में।
52	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 05/2021–158 दिनांक–01.03.2021	प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची।	मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी एवं प्रचार–प्रसार के संबंध में।
53	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 123/2019–203 दिनांक–12.03.2021	प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के योग्य लाभार्थी महिलाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

54	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 25/2020–252 दिनांक–24.03.2021	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, रांची	DMFT/PMKKKY अन्तर्गत योजनाओं के चयन के संबंध में।
55	पत्रांक–रा0खा0आ0 (बैठक) 05/2017–298 दिनांक–29.05.2021	अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सारठ, देवघर	कार्डधारियों से वैक्सीनेशन का प्रमाण–पत्र लेने के पश्चात् ही राशन दिये जाने के निर्देश संबंधी प्रकाशित समाचार के संबंध में।
56	पत्रांक–रा0खा0आ0 (बैठक) 05/2017–343 दिनांक–21.06.2021	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, देवघर	राशन कार्डधारियों से वैक्सीनेशन प्रमाण–पत्र लेने के पश्चात् ही राशन दिये जाने के निर्देश संबंधी प्रकाशित समाचार के संबंध में।
57	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 17/2021–717 दिनांक–02.11.2021	प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–4 (क), धारा–5 (1)(क) एवं धारा–8 के उल्लंघन के संबंध में।
58	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 16/2021–742 दिनांक–17.11.2021	सभी उपायुक्त, झारखण्ड	राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के परिवारों को सुलभ पेयजल की व्यवस्था एवं भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में।
59	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 16/2021–743 दिनांक–17.11.2021	सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	One Nation One ration Card की सुविधा राज्य के सभी कार्डधारियों को उपलब्ध कराने के संबंध में।
60	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 16/2021–744 दिनांक–17.11.2021	सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना के संबंध में।
61	पत्रांक–रा0खा0आ0 (नीति) 16/2021–745 दिनांक–17.11.2021	सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	सरकार के पंचायत एवं जिला स्तर पर उपलब्ध कराए गए आकस्मिक निधि के व्यय के संबंध में।
62	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 26/2021–780 दिनांक–26.11.2021	उपायुक्त, गोड्डा	गोड्डा जिला भ्रमण के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में निरीक्षण के क्रम में नमक एवं चीनी के संधारण तथा वितरण में पाये गये अनियमितता के संबंध में।
63	पत्रांक–रा0खा0आ0 (लेखा) 06/2021–884 दिनांक–29.12.2021	सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची	जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को आबंटन उपलबध कराने के संबंध में।
64	पत्रांक–रा0खा0आ0 (विविध) 30/2017–73 दिनांक–01.02.2022	सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।	सिमडेगा जिला अन्तर्गत पकरीटांड़ प्रखण्ड (रामरेखा धाम के नजदीक), भागलपुर बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र की दयनीय स्थिति के संबंध में।

अध्याय–6

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- दिनांक–08 सितम्बर 2021 को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ०रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2018–2020 (01 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 तक) की प्रति सभा–पटल पर रखी गयी।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक जनवितरण प्रणाली से संबंधित लगभग 11,000 राशन कार्डधारियों की शिकायतों का निस्तारण।
- राज्य खाद्य आयोग के हस्तक्षेप से प्रतिवेदित अवधि में विभिन्न मामलों में लगभग 9338 लाभुक परिवारों/व्यक्तियों को खाद्यान्न/पोषाहार एवं राशि के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान कराया गया।
- पश्चिमी सिंहभूम जिला में लगभग 1,000 से अधिक कार्डधारियों को लगभग 14 माह का बकाया राशन भुगतान सुनिश्चित कराया गया।
- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत लगभग 300 छात्रों को आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता सुनिश्चित कराया गया।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं में अनियमितता पर आयोग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ।
- बन्दगाँव प्रखण्ड (पश्चिमी सिंहभूम) के बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता सुनिश्चित न कर पाने के कारण संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–33 एवं धारा–20 (2) के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–28 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई एवं व्यापक स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वेबसाइट का निर्माण।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में Online शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ।
- Video Conferencing के माध्यम से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की कोर्ट प्रक्रिया प्रारंभ।
- शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था।
- सभी जिलों में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी पद निहित्त किया गया है।
- मध्याह्न भोजन योजना एवं जनवितरण प्रणाली में संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित।

- आयोग की संपूर्ण जानकारी को एकत्रित कर, आयोग के वेबसाइट का निर्माण कर, उसके माध्यम से प्रचारित।
- खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में सरकारी अधिकारियों की जानकारी हेतु प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण।
- गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला।
- पायलट बेसिस पर नामकुम प्रखण्ड के मुखिया एवं निगरानी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को समझने हेतु PPT विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित।
- वर्ष 2017–18, 2018–20 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया एवं विधानसभा के पटल पर रखा गया एवं जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 का विशेष प्रतिवेदन समक्ष है।
- दिनांक 25/09/2018 के माध्यम से राँची जिला के सिल्ली प्रखंड के पतरातु पंचायत के 18 लोगों के कार्ड रद्द करने से संबंधित पत्र मुखिया को निर्गत किया गया। आयोग के द्वारा संबंधित विषय पर पुनः 28/02/2019 को उपायुक्त को पत्र प्रेषित किया गया।
- दिनांक 16/02/2019 को राँची जिला के सिल्ली प्रखंड के पतरातु पंचायत के 40 कार्ड रद्द करने की सूचना दी गई। जिन्हें आयोग के द्वारा दिनांक–27/03/2019 को DGRO को प्रेषित किया गया एवं 40 व्यक्तियों का नाम आधार पोर्टल में जोड़ने के संबंध में भी सूचना दी गई।
- दो अन्य योजनाओं यथा–आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले पूरक पोषाहार एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित मार्गदर्शिका/सुझावी दिशानिर्देश तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- लॉकडाउन की अवधि में राज्य के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता लाने का कार्य किया गया तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नं0 जारी किए गए। इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से कुल–365 शिकायतें (माह अप्रैल, 20 से माह 30 जून, 20 तक) प्राप्त हुई, जिन पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आयोग द्वारा सम्बन्धित जिलों को निदेश दिया गया।
- सतर्कता समिति के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका का निर्माण।

ABBREVIATION (संक्षिप्त नाम)

CDPO	-	Child Development Project Officer
DGRO	-	District Grievance Redressal Officer
ICDS	-	Integrated Child Development Scheme
JSLPS	-	Jharkhand State Livlihood Promotion
MDM	-	Mid Day Meal
MTC	-	Malnutrition Treatment Centre
NFHS	-	National Food Health Survey
NLSIU	-	National Law School of India University
ONORC	-	One Nation One Ration Card
PDS	-	Public Distribution System
PFMS	-	Public Financial Management System
PGMS	-	Public Grievance Management System
PMMVY	-	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
PVTG	-	Particularly Vulnerable Tribal Groups
SHG	-	Self-Help Group
THR	-	Take Home Ration
TVC	-	Television Commercial
VC	-	Video Conference

पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान

झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश–2019 के अध्याय–II के खण्ड–4 में पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान के संबंध में उल्लेख है।

समावेशन मानक निम्नवत् होंगे:–

60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।

कैंरार, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।

उल्लेखित छः (06) समावेशन मानकों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया गया है:–

कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।

निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thella Puller)।

फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon inSmall Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/नलसाज (Plumber)/माली (Mali)/

(Washerman)/मोची (Cobbler)।

नोट :– समावेशन मानक के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नहीं होगा।

अपवर्जन मानक निम्नवत है :–

परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा :

- परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर देते हैं, अथवा।
- परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि दस एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा।
- परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर है, अथवा।
- परिवार के किसी सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा।
- परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर/वॉशींग मशीन है, अथवा।
- परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा।
- परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।
- अपवर्जन एवं समावेशन मानकों में विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जाएगा।
- अपवर्जन एवं समावेशन मानकों को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- खण्ड–3 उपखण्ड–(ii) में उल्लेखित सभी प्रकार के गृहस्थों हेतु अलग–अलग राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा भत्ता

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की अध्याय (iii) (धारा–8) के अनुसार अधिनियम के तहत् आने वाले हकदारों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार है।

खाद्य सुरक्षा भत्ता

1. विद्यालय दिवस पर अगर 1 दिन भी भोजन न मिले तो नामांकित/उपस्थित प्रत्येक बच्चे को रा0खा0सु0अ0–2013 की धारा–8 के तहत् अगले माह के 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता देय होगा।
2. अगर किसी माह लगातार 3 दिन अथवा 1 माह में कम से कम 5 दिन विद्यालय दिवस में मध्याह्न भोजन न मिले तो जिम्मेवार अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान।

रा0खा0सु0अ0–2013 की धारा–8 एवं मध्याह्न भोजन नियम–9

1. MDM Rule 9 (1)– यदि किसी भी स्कूल दिन के स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियम 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार नियम 2 के उपबंध (ग) में परिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चों के पात्रता अनुसार अगले माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराएगी।
2. MDM Rule 9 (3)– स्कूल दिनों में लगातार 3 दिन अथवा एक माह में कम से कम 5 दिन तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेवारी नियत करने के लिए कार्रवाई करेगी।

रा0खा0सु0अ0–2013 की धारा 5–1 (क), धारा 4 (क)–अनुसूची–2 एवं धारा 4 (क) में दिये गए किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन होने पर

1. रा0खा0सु0अ0–2013 की धारा–8 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिसूचना (दिनांक–20.02.2017) का बिन्दु–8 के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान है।
 - प्रत्येक पंजीकृत बच्चे
 - गर्भवती महिला
 - धात्री एवं नर्सिंग माँ को

आँगनबाड़ी केन्द्र पर मेन्यू के अनुसार सही मात्रा में भोजन केन्द्र के कार्य दिवस के दिनों में लगातार 3 दिन अथवा माह में कम से कम 5 दिन तक नहीं मिलता हो खाद्य सुरक्षा भत्ता आँगनबाड़ी केन्द्र पर महिला एवं बाल विकास के द्वारा प्रति इकाई तय की गई राशि के अनुसार गणना का 15 दिनों के अन्दर दिया जाना है।

नियमावली के अनुसार rule(2) clause (2) के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी जो rule (3) में mention है को rule (11) की दर से भत्ता देने का प्रावधान है।

- खाद्य सुरक्षा भत्ता
- जन वितरण प्रणाली केन्द्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) अधिसूचना दिनांक– 21.01.2015 के अनुसार प्रत्येक हकदारी को खाद्य नहीं मिलने, कम मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा भत्ते की संगणना:– हकदार व्यक्तियों को अनुज्ञेय खाद्य सुरक्षा भत्ते की रकम की संगणना उस विपणन सत्र के लिए सुसंगत खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम–1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर को आपूर्ति न की गई मात्रा से गुणा करके की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की अवधि:– जिस मास में आपूर्ति नहीं की गई है, के पश्चातवर्ती मास के तीसरे सप्ताह के अंत तक खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय को सुनिश्चित करेगा।

खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का ढंग:– राज्य सरकार हकदार व्यक्तियों को बैंक खातों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा भत्ते को संदाय का सुनिश्चित करेगी। अगर बैंक में खाता न हो तो आरंभिक संदाय नकद दिया जाएगा।

राज्य खाद्य आयोग के आय–व्यय का ब्यौरा

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2021–2022 में योजना मद में कुल खर्च विवरणी।

क्र0सं0	मद	कुल प्राप्त राशि	व्यय	अवशेष/ प्रत्यार्पित राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन	25976000	14863382	11112618
2	LTC	500000	0	500000
3	देशीय यात्रा भत्ता	500000	26059	473941
4	कार्यालय व्यय	1000000	887372	112628
5	कार्यालय उपकरण	500000	494939	5061
6	प्रचार/प्रसार/सेमिनार	500000	477420	22580
7	आपूर्ति एवं सामग्री	200000	0	200000
8	व्यवसायिक सेवा	3984000	2747530	1236470
9	दूरभाष	300000	115913	184087
10	वर्दी	10000	0	10000
11	प्रशिक्षण व्यय	200000	0	200000
12	सर्वेक्षण	500000	47600	452400
13	मोटरवाहन	2200000	959540	1240460
14	विधि प्रभार	100000	0	100000
15	गैर निर्माण	2596942	2596942	0
		39066942	23216697	15850245



झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2020–2021 में योजना मद में कुल खर्च विवरणी।				
क्र0 सं0	मद	कुल प्राप्त राशि	व्यय	अवशेष/ प्रत्यार्पित राशि
1	2	3	4	5
1	मशीन एवं उपकरण	400,000.00	317,056.00	82,944.00
2	प्रचार–प्रसार	300,000.00		300,000.00
3	दूरभाष	250,000.00	146,607.00	103,393.00
4	वर्दी	10,000.00		10,000.00
5	विद्युत व्यय	500,000.00	34,351.00	465,649.00
6	मोटरगाड़ी	2,300,000.00	2,217,182.00	82,818.00
7	विधि प्रभार	100,000.00		100,000.00
8	नई मोटरगाड़ी का कय	1,500,000.00		1,500,000.00
9	देशीय यात्रा	500,000.00	91,607.00	408,393.00
10	कार्यालय व्यय	1,000,000.00	670,388.00	329,612.00
11	व्यवसायिक सेवाएं	4,008,000.00	3,192,319.00	815,681.00
12	वेतन	26,003,000.00	12,340,646.00	13,662,354.00
13	LTC	300,000.00		300,000.00
		37,171,000.00	19,010,156.00	1,81,60,844.00

मीडिया की नजर में

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने किया पदभार

प्रत्येक जरूरतमंद को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न : चौधरी



झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का स्वागत करते लोग।

जनवरी में लांच होगी वेबसाइट, शिकायत का होगा निदान



आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर • जागरण

लाभुकों को सुविधा

- सीसीटीवी कैमरे की नजर में खाद्य आयोग की जब होगी सुनवाई
- प्रमाण के साथ वेबसाइट पर कर सकेंगे लाभुक अपनी शिकायत

अब किसी भी डीलर ले सकेंगे राशन

रांची . राशन कार्डधारी अब जिले के किसी भी डीलर से राशन का उठाव कर सकते हैं. इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद बिलुंग ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों को निर्देश दिया है. श्री बिलुंग ने डीलरों से कहा है कि दूसरे डीलर के कार्डधारी भी अगर राशन लेने के लिए आयें, तो उसे राशन जरूर दें, लौटायें नहीं. इससे राशन डीलरों की मनमानी पर रोक लगेगी. नयी व्यवस्था के तहत अगर किसी एक राशन डीलर के पास उसके चिह्नित लाभुकों से अधिक लोग राशन लेने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे डीलर को जिला प्रशासन के आपूर्ति विभाग द्वारा राशन उपलब्ध कराया जायेगा. जिला प्रशासन के इस फैसले का डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने स्वागत किया है. डिप्टी मेयर ने कहा कि नयी व्यवस्था के लागू होने से अब लोगों को एक ही डीलर पर आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

- इसी माह से रांची में लागू होगी नयी व्यवस्था

गोड्डा में नमक-चीनी रखरखाव व वितरण में मिली भारी गड़बड़ी



हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखंड राज्य खाद्य आयोग • जागरण

गोड्डा उपायुक्त से जवाब तलब, सभी डीसी को

आयोग ने गोड्डा उपायुक्त से तलब रिपोर्ट पर जवाब मांगा है।

उपायुक्त से पूछा गया है कि 2017 के नमक, जिसके इस्तेमाल की अवधि तय की गई थी, का वितरण कब तक कर लिया गया था? इसमें कितने का आवंटन बचत हो गया है? इसमें से कितना कब नहीं गया? वर्ष 2020 के नमक का वितरण अब तक नहीं किया गया। वितरण योग्य और इस्तेमाल न किए जाने योग्य नमक एक कब रखे गए हैं। आयोग ने उपायुक्त से पूछा है कि नमक की खरीद हुई थी, वितरण कब तक हुआ और आगे कब कार्रवाई की।

डीसी के बताने पर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने पूछा कि योजना में नमक कुल कौनसे साल से आवंटित होना शुरू हुआ और कब तक पूरा हुआ? इसमें कितना आवंटन बचत हो गया? इसमें से कितना कब नहीं गया? वर्ष 2020 के नमक का वितरण अब तक नहीं किया गया। वितरण योग्य और इस्तेमाल न किए जाने योग्य नमक एक कब रखे गए हैं। आयोग ने उपायुक्त से पूछा है कि नमक की खरीद हुई थी, वितरण कब तक हुआ और आगे कब कार्रवाई की।

आयोग ने उपायुक्त अतिरिक्तायुक्त के लिए जिलास्तर पदाधिकारियों-कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को विशेष सहयोग लेकर एवं डीसी को शेष माह के प्रतिवेदन की मांग की है। आयोग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में नमक एवं चीनी के भंडारण पर ध्यान देने का निर्देश दी गई है। सहयोग चीनी को विशेष कहीं से कहां भेज गया? आयोग ने उपायुक्त से पूछा है कि चीनी के कितने कब नहीं गया? वर्ष 2020 के नमक का वितरण अब तक नहीं किया गया। वितरण योग्य और इस्तेमाल न किए जाने योग्य नमक एक कब रखे गए हैं। आयोग ने उपायुक्त से पूछा है कि नमक की खरीद हुई थी, वितरण कब तक हुआ और आगे कब कार्रवाई की।

आयोग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में नमक एवं चीनी के भंडारण पर ध्यान देने का निर्देश दिया है।

दैनिक भास्कर गढ़वा 23-10-2021

राशन में कटौती करनेवाले डीलरों की शिकायत करें, त्वरित कार्रवाई की जाएगी : खाद्य आयोग

लगातार मिल रही शिकायत पर जांच करने खाद्य सुरक्षा आयोग की दो सदस्यीय टीम पहुंची गढ़वा



प्रेसवार्ता झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा

एनएफएसए योजना में गड़बड़ी दिखने पर लाभुक करें शिकायत



- ये सभी के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं, जिसमें सभी लोग
- ये सभी के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं, जिसमें सभी लोग
- लाभुकों से संबंधित शिकायत व्हाट्सएप नंबर 9142622394 पर भेज सकते हैं। शिकायत के साथ

सभी को मिले खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ : अध्यक्ष



हिमांशु शेखर चौधरी • जागरण

प्रशासन उपलब्ध कराएगा पौष्टिक खाद्यान

राज्य खाद्य निगम के अध्यक्ष ने किया राशन दुकान व गोदाम का निरीक्षण



पीटीजी योजना के लाभुकों के घर पहुंचायें अनाज





पीडीसी, आंगनबाड़ी व कुपोषण केंद्र की खामियों की करें जल्द शिकायत

पाकुड़ पहुंचे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, कहा



'आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर गड़बड़ियों की शिकायत करें'

बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचायें राहत सामग्री

निर्देश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य ने प्रभावित क्षेत्रों का किया भ्रमण, कहा



राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा- लाभुकों तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा तो नप जाएंगे अधिकारी

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा- आयोग के व्हाट्सएप नंबर 9142622394 पर भेज सकते हैं शिकायत



लाभुकों को अनाज नहीं मिला तो नपेंगे अफसर

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को दी नसीहत



'कुपोषण केंद्र में खामियां मिलीं तो कार्रवाई'





NOTE

NOTE

NOTE

#Kailash Stationers, Ranchi Ph. : 7903074833